राजस्थान में जिला तथा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधन
(Funds Available at District and Local Level in Rajasthan)

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र, जयपुर
(आस्था की इकाई)

राजस्थान में जिला तथा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधन
(Funds Available at District and Local Level in Rajasthan)

2019

Budget Analysis Rajasthan Centre

(A Unit of Astha)

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र, जयपुर

(आस्था की इकाई)

ई–758–59, दूसरी मंजिल, नकुल पथ, लालकोठी स्कीम, जयपुर

ई–मेल : 0141-2740073

ई–मेल : info@barcjaipur.org | वेबसाईट : www.barcjaipur.org

राजस्थान में जिला तथा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधन

अध्ययन एवं शोध : नेसार अहमद
महेन्द्र सिंह राव
सकील खान
ऋषि सिंहा

2019

अध्ययन, शोध एवं प्रशिक्षण उद्देश्य हेतु
इस पुस्तिका का उपयोग संदर्भ के साथ किया जा सकता है।

© बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र

प्रकाशक : बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र

मुद्रक : रूचिका क्रिएशन
चौड़ा रास्ता, जयपुर फोन # 0141-4043430, 9799321626

अनुक्रम

क्र.सं.	विषय–वस्तु	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	
2.	परिचयः जिले में हस्तांतरित होने वाले संसाधन (बजट) • जिले में हस्तांतरित होने वाले संसाधन • स्थानीय निकायों (ग्रामीण एवं शहरी) को उपलब्ध राशि	1
3.	जिले में विभिन्न विभागों के माध्यम से उपलब्ध राशि शिक्षा विभाग • समग्र विद्यालय अनुदान (कम्पोजिट स्कूल ग्रांट) • विद्यालय प्रबंधन समिति स्वास्थ्य विभाग • उप–स्वास्थ्य केन्द्र • प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र • सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र • रोगी कल्याण समिति • राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी : उपयोग शुल्क (गैर बजट) • ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल एवं पोषण समिति	3
4.	गैर बजटीय संसाधन (राशियां) • जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास कोष • कैम्पा फंड • भवन एवं निर्माण श्रमिक कल्याण कोष	15
5.	संदर्भ	25
6.	परिशिष्ट	26

प्रस्तावना

राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं एवं विभिन्न विभागों में स्थानीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के संसाधन उपलब्ध होते हैं। राज्य में ग्रामीण एवं शहरी दोनों निकायों के पास स्वयं के संसाधनों के अलावा मुख्य रुप से राज्य एवं केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए संसाधन उपलब्ध रहते हैं। इनके अलावा कईं विभागों की योजनाओं के अंतर्गत तथा सरकार के गैर–बजटीय संसाधन भी उपलब्ध रहते हैं जिनका उपयोग स्थानीय स्तर पर ही किया जा सकता है। इन संसाधनों के समुचित उपयोग हेतु आमजन, समुदाय के सभी तबकों, जनप्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों, जिला एवं निम्न स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों एवं जमीनी स्तर पर कार्य करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं/संगठनों को इन संसाधनों, उपयोग के तरीकों एवं इनसे करवाये जा सकने वाले कार्यों की जानकारी होना आवश्यक है ताकि इनका समुचित उपयोग हो सके।

अतः इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र (बार्क), जयपुर द्वारा राज्य में जिला एवं निम्न स्तर पर सरकार के विभिन्न विभागों, पंचायतीराज संस्थाओं एवं गैर–बजटीय सरकारी संसाधनों एवं इनसे करवाये जा सकने वाले कार्यों की जानकारी पर एक संक्षिप्त पुस्तिका तैयार की गयी है। प्रस्तुत पुस्तिका में जिला एवं निम्न स्तर पर मुख्य रुप से चुने हुये सरकारी विभागों (शिक्षा एवं स्वास्थ्य) एवं सरकार के गैर–बजटीय संसाधनों (डीएमएफटी, कैम्पा एवं निर्माण श्रमिक कल्याण कोष) एवं इनसे करवाये जा सकने वाले कार्यों का विवरण दिया गया है। ये संसाधन पंचायतों तथा शहरी स्थानीय निकायों को उपलब्ध बजट से अलग होते हैं। पंचायतों के आय के स्रोतों एवं इनसे करवाये जा सकने वाले कार्यों की जानकारी के संबंध में बार्क द्वारा वर्ष 2016 में प्रकाशित "राजस्थान में पंचायतों की आय के प्रमुख स्रोत एवं इनसे करवाये जा सकने वाले कार्य" एवं वर्ष 2018 में प्रकाशित "पंचायत बजट तथा पंचायतों की आय के स्रोत" पुस्तिकाओं को देखा जा सकता है।

हम आशा करते हैं कि यह पुस्तिका आमजन, विभिन्न वर्गों के सभी लोगों, जनप्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों, जिला एवं निम्न स्तर पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों एवं जमीनी स्तर पर कार्य करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं/संगठनों के प्रतिनिधियों के लिये उपयोगी साबित होगी एवं विभिन्न विकास कार्यों हेतु इन संसाधनों के समुचित उपयोग हेतु मार्गदर्शन में योगदान करेगी।

नेसार अहमद
समन्वयक
बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र

परिचय : जिले में हस्तांतरित होने वाले संसाधन (बजट)

सरकार द्वारा जिलों में कईं प्रकार के संसाधन (राशियाँ) हस्तांतरित किये जाते हैं एवं ये संसाधन मुख्य रुप से पंचायतीराज संस्थाओं, शहरी निकायों, विभिन्न विभागों एवं केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रदान किये जाते हैं। इसके अलावा जिलों में विभिन्न विभागों एवं योजनाओं के अंतर्गत गैर बजटीय (Off-Budget) राशि भी पहुंचती है जिसका उपयोग भी समुदाय एवं क्षेत्र के विकास हेतु उपयोग किया जाता है। जिले में हस्तांतरित होने वाले विभिन्न प्रकार के संसाधनों का विवरण निम्न चित्र में दिया गया है।

जिले में हस्तांतरित होने वाले संसाधन :

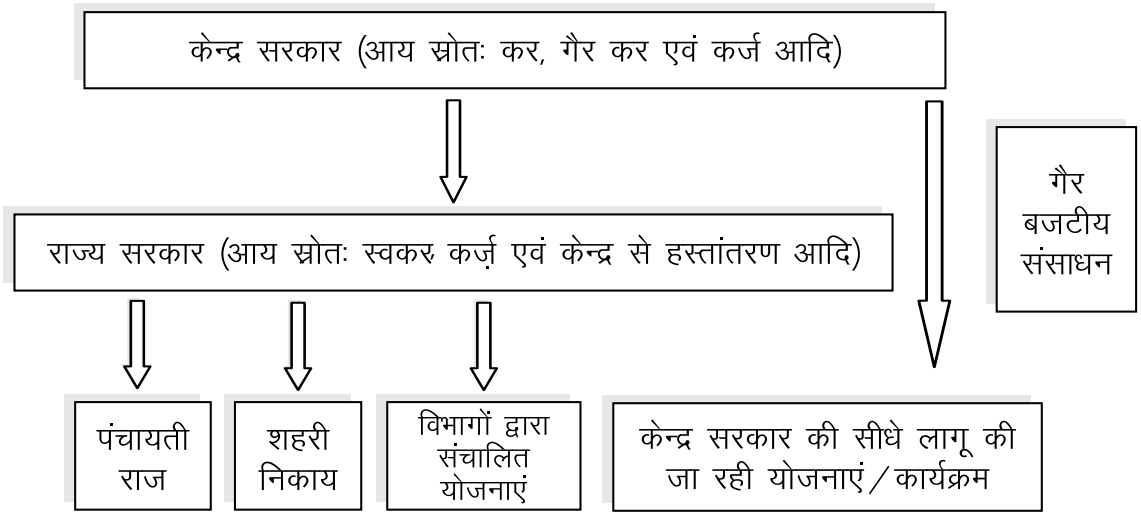

स्थानीय निकायों (ग्रामीण एवं शहरी) को उपलब्ध राशि :

राज्य में स्थानीय निकायों (ग्रामीण एवं शहरी) को भी अलग–अलग प्रकार के संसाधन (बंधन एवं निर्बंध) उपलब्ध होते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध ये संसाधन बंधन एवं निर्बंध (Tied and Untied) दोनों प्रकार के होते हैं। पुस्तिका के इस खंड में ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को उपलब्ध विभिन्न प्रकार के संसाधनों की जानकारी दी गयी है।

ग्रामीण निकायों को उपलब्ध राशि : पंचायती राज में ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, खण्ड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद कार्यकारी संस्थाएं हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत कार्यकारी संस्था होती है जिसका अध्यक्ष सरपंच होता है तथा सचिव इस संस्था के लिये सरकारी प्रतिनिधि नियुक्त होता है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति कार्यकारी संस्था होती है जिसका अध्यक्ष प्रधान होता है तथा विकास अधिकारी इस संस्था पर सरकारी अधिकारी नियुक्त होता है। जिला स्तर पर जिला परिषद कार्यकारी संस्था होती है जिसका अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस संस्था पर सरकारी अधिकारी नियुक्त होता है।

ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध संसाधन : ग्राम पंचायतों को निम्न संसाधन उपलब्ध होते हैं –

1. पंचायतों की निजी आय
   - पंचायतों द्वारा लगाए गए कर
   - पंचायतों की गैरकर आय (किराया, फीस आदि)
2. राज्य सरकार से आय
   - राज्य सरकार से अनुदान तथा करों में हिस्सा (राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर)

- राज्य आयोजना / कार्यक्रमों के लिये राशि

3. केंद्र सरकार से आय (राज्य सरकार के माध्यम से)
   - केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्राप्त अनुदान
   - केंद्र प्रवर्तीत योजनाओं के लिए राशि

पंचायत समिति एवं जिला परिषद स्तर पर उपलब्ध संसाधन : पंचायत समिति एवं जिला परिषद स्तर भी केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्राप्त होने वाले संसाधनों के अलावा पंचायत स्तर पर उपलब्ध होने वाले उपरोक्त सभी प्रकार के संसाधन होते हैं। केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्राप्त होने वाला अनुदान केवल ग्राम पंचायतों को ही मिलता है।

शहरी निकायों को उपलब्ध राशि : संविधान में 74वें संशोधन के अनुसार नगर पालिकाओं के गठन को तीन श्रेणियों में देखा जा सकता है। छोटे कस्बों और संक्रमणशील (Transitional) क्षेत्र में नगर पंचायत एवं मध्यम स्तर के शहरों में नगर परिषद का प्रावधान है। जबकि बड़े शहरों के स्तर पर नगर निगम होती है। इस प्रकार शहरी निकायों हेतु तीन तरह की नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान है। परंतु राज्य सरकार इस प्रारुप को अपनी सुविधा के अनुरुप संशोधित कर राज्य में क्रियांवित करने के लिये स्वतंत्र हैं।

शहरी निकायों (नगर पंचायत, नगर परिषद एवं नगर पालिकाओं) को भी राज्य एवं केन्द्र सरकार से संसाधन प्राप्त होते हैं जो बंधन एवं निर्बंध (Tied and Untied) दोनों प्रकार के होते हैं।

नगर पंचायत, नगर परिषद एंव नगर पालिकाओं को उपलब्ध संसाधन : शहरी निकायों के तीनों स्तर (नगर पंचायत, नगर परिषद एवं नगर पालिकाओं) पर भी निम्न संसाधन उपलब्ध होते हैं–

1. निकायों की निजी आय
   - निकायों द्वारा लगाए गए कर
   - निकायों की गैरकर आय (फीस, किराया आदि)
2. राज्य सरकार से आय
   - राज्य सरकार से अनुदान तथा करों में हिस्सा (राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर)
   - राज्य आयोजना / कार्यक्रमों के लिये राशि
3. केंद्र सरकार से आय (राज्य सरकार के माध्यम से)
   - केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्राप्त अनुदान
   - केंद्र प्रवर्तीत योजनाओं के लिए राशि

विभागों द्वारा खर्च की जाने वाली राशि

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि विभिन्न विभागों द्वारा जिला एवं निम्न स्तर पर कईं प्रकार के संसाधन हस्तांतरित होते हैं। इन संसाधनों में से अधिकांश संसाधन विभाग अपने स्तर पर विभिन्न विकास कार्यों एवं गतिविधियों हेतु खर्च करते हैं लेकिन इनमें से कुछ छोटे–छोटे संसाधन होते हैं जिन पर समुदाय का नियंत्रण होता है। जिनमें मुख्यरुप से कम्पोजिट स्कूल ग्रांट, विद्यालय प्रबंध समिति (SMC) एवं ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल एवं पोषण समिति (VHSNC) को मिलने वाली राशि शामिल है।

गैर बजट संसाधन

इसी प्रकार जिलों में विभिन्न कानूनों के तहत गैर बजटीय (Off-Budget) संसाधन भी हस्तांतरित होते हैं जिन पर भी बहुत हद तक सीधे या परोक्ष रूप से समुदाय का नियंत्रण रहता है। सरकार के विभिन्न विभागों एवं योजनाओं के माध्यम से जिले में पहुंचने वाले संसाधनों, जिन पर मुख्यरुप से समुदाय का नियंत्रण रहता है, उनका विवरण इस पुस्तिका में दिया गया है।

जिले में विभिन्न विभागों के माध्यम से उपलब्ध राशि

शिक्षा विभाग

शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों एवं विभिन्न विकास कार्यों हेतु सितम्बर, 2018 से पहले जिला एवं निम्न स्तर पर कई प्रकार के स्थानीय संसाधन उपलब्ध रहते थे। इनमें मुख्य रुप से विद्यालय रख–रखाव अनुदान (SMG), शिक्षण अधिगम सामग्री अनुदान (TLM Grant), विद्यालय सुविधा अनुदान (SFG), विद्यालय स्वच्छता अनुदान (SSG) आदि हैं। लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा सर्व शिक्षा अभियान एवं माध्यमिक शिक्षा अभियान को मिलाकर हाल ही में लागू किये गये समग्र शिक्षा अभियान के तहत इन सभी अनुदानों को एक करके समग्र विद्यालय अनुदान (कम्पोजिट स्कूल ग्रांट) का प्रावधान किया गया है। यह अनुदान निर्बंध (Untied) प्रकार का होता है, जिसको विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों एवं विकास कार्यों हेतु इसके दिशा निर्देशों के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति (School Management Committee) की सहमति से उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार के संसाधनों के उपयोग में विशेष रुप से विद्यालय स्तर पर, विद्यालय प्रबंधन समिति का नियंत्रण रहने के साथ महत्वपूर्ण भूमिका भी रहती है। इसलिये यहां पर शिक्षा विभाग में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों की जानकारी के साथ विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में भी चर्चा की गयी है। कम्पोजिट स्कूल ग्रांट के अंतर्गत मिलने वाली राशि एवं होने वाले कार्यों के बारे में नीचे विस्तृत विवरण से दिया गया है।

समग्र विद्यालय अनुदान (कम्पोजिट स्कूल ग्रांट)

समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत दिनांक 11 सितम्बर, 2018 से राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की शैक्षिक, सह–शैक्षिक एवं भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति और पुराने उपकरणों के प्रतिस्थापन तथा विद्यालय स्वच्छता कार्य योजना हेतु कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश परिशिष्ट संख्या 1 पर संलग्न है।

समग्र विद्यालय अनुदान में समायोजित किये गये अनुदान :

- विद्यालय रखरखाव अनुदान।
- शिक्षण अधिगम सामग्री अनुदान।
- विद्यालय सुविधा अनुदान।
- विद्यालय स्वच्छता अनुदान।

यह अनुदान डाइस डाटा के अनुसार सम्बंधित विद्यालय को दिया जाता है। जिला परियोजना कार्यालय द्वारा राशि का हस्तान्तरण ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों हेतु पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) द्वारा विद्यालय की प्रबंधन समिति के बैंक खाते में तथा शहरी क्षेत्र के विद्यालयों हेतु सीधे ही विद्यालय प्रबंधन समिति के खाते में हस्तांतरित किया जाता है।

उद्देश्य :– कम्पोजिट स्कूल ग्रांट का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य को बढ़ावा देने के लिए पाठ्य–सहगामी क्रियाओं का विकास करना एवं विद्यालयों की दैनिक/भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।

वित्तीय प्रावधान : शिक्षा विभाग द्वारा सम्बंधित विद्यालयों को छात्रों की संख्या के अनुसार कम्पोजिट स्कूल ग्रांट दिए जाने का प्रावधान है, जिसका विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

क्रं.सं.	विद्यालयों में छात्रों की संख्या	विद्यालय को अनुदान
1.	1–15	12,500 रु.
2.	16–100	25,000 रु.
3.	101–250	50,000 रु.
4.	251–1000	75,000 रु.
5.	1000 से अधिक	100,000 रु.

कम्पोजिट स्कूल ग्रांट की राशि से किये जाने वाले कार्य एवं क्रय की जाने वाली सामग्री निम्नलिखित है –

- एक दैनिक समाचार पत्र (अनिवार्य)।
- विज्ञान या गणित किट सामग्री के प्रतिस्थापन पर व्यय।
- विज्ञान एवं गणित विषय के ई–कन्टेन्ट क्रय कर कल्प लैब हेतु उपलब्ध करवाना।
- प्रतियोगिताओं का आयोजन / खेल सामग्री / उपलब्धि प्रमाण पत्र मुद्रण।
- अग्निशमन यन्त्र के सिलेंडर में गैस भरवाना।
- शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम में रेफर किये गए विद्यार्थियों को अस्पताल जाने के किराये हेतु।
- प्रयोगशाला सम्बन्धी उपकरणों का रखरखाव एवं मरम्मत।
- इंटरनेट सम्बन्धी कार्य एवं शिक्षण अधिगम सामग्री में उपयोग हेतु।
- वार्षिक टूट–फूट, मरम्मत व रंग–रोगन संबंधी कार्य।

विद्यालय स्वच्छता एक्शन प्लान : कम्पोजिट स्कूल ग्रांट में 10 प्रतिशत राशि स्वच्छता एक्शन प्लान के लिए निर्धारित की गई है जिसका उपयोग निम्न कार्यों हेतु किया जा सकता है:

- विद्यालय के शौचालय / मूत्रालयों का नियमित उपयोग एवं रख–रखाव।
- शौचालय / मूत्रालयों की साफ़–सफाई हेतु वांछित ब्रश, एसिड, टॉयलेट क्लीनर आदि क्रय करने के लिए।
- मिड डे मील (MDM) से पूर्व व शौचालय के उपयोग के बाद छात्र–छात्राओं को हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था करना।
- शौचालय / मूत्रालय की छोटी–मोटी मरम्मत करवाने के लिए।
- शौचालय / मूत्रालय में रनिंग वाटर सुविधा या पानी की टंकी रखवाने के लिए।
- बेकार पानी तथा सूखे कचरे के निस्तारण की व्यवस्था हेतु।
- कक्षा–कक्षों एवं विद्यालय परिसर में रखने के लिए कचरा पात्र क्रय / तैयार करना।
- पेयजल स्रोत को ठीक करवाना।
- बालिका शौचालयों के साथ इंसीनरेटर लगाने / निर्माण के लिए।

विद्यालय संस्था प्रधान द्वारा किये जाने वाले कार्य (जिम्मेदारी) :

- विद्यालय की एसडीएमसी / एसएमसी से विद्यालय की सुविधाओं के लिए आवश्यकताओं का चिन्हीकरण कर लिखित में प्रस्ताव प्राप्त करना एवं वर्ष भर की आवश्यकताओं का वित्तीय अनुमान निर्धारित करना।
- एसडीएमसी के 4 सदस्यों की क्रय समिति बनाना जिसमें अध्यक्ष एवं सचिव के अतिरिक्त 2 अभिभावक सदस्य हों तथा क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता उच्च स्तर की होना सुनिश्चित करना।
- सामग्री क्रय कर रोकड़ बही, स्टॉक रजिस्टर, बिल वाउचर को व्यवस्थित तैयार करना।
- वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पोजिट स्कूल ग्रांट की समस्त राशि के उपयोग का उपयोगिता प्रमाण– पत्र पीईईओ कार्यालय को भेजना।
- उपयोग के उपरांत या प्रत्येक तिमाही पश्चात पूर्व निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र नोडल प्रधानाध्यापक / सीआरसी / पीईईओ के माध्यम से तीन प्रतियों में समग्र शिक्षा अभियान के जिला कार्यालय को भिजवाना होता है ताकि समय पर इसका समायोजन हो सके। आवंटित की गयी राशि का दिसंबर माह तक उपयोग किया जाकर जिला परियोजना समन्वयक द्वारा जिले के उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.) संकलित कर संलग्न प्रमाण पत्र में परिषद कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करना।

कम्पोजिट स्कूल ग्रांट की राशि का निम्न मदों में व्यय नहीं किया जा सकता है:

- कम्पोजिट स्कूल ग्रांट की राशि का उपयोग फर्नीचर की खरीद जैसे–छात्र/प्रधानाध्यापक कक्ष/स्टाफ रुम फर्नीचर आदि क्रय नहीं किया जा सकता है।
- इसके अलावा जलपान, उत्सव मनाने एवं उत्सवों के आयोजन हेतु फोटो खिंचवाने हेतु भी उपयोग नहीं किया जा सकता है।

विद्यालय प्रबंधन समिति (School Management Committee):

विद्यालय के रख–रखाव एवं व्यवस्थित संचालन के लिए एक विद्यालय प्रबंधन समिति होती है जो विद्यालय को सुचारु रूप से चलाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन के संबध में विभाग द्वारा जारी आदेश परिशिष्ट संख्या 2 पर संलग्न है।

विद्यालय प्रबंधन समिति के उद्देश्य :

- विद्यालय में होने वाले सभी कार्यों और गतिविधियों की निगरानी करना।
- विद्यालय के विकास के लिए योजना का निर्माण, स्वीकृति एवं अन्य विकास कोष बनाना, जिससे विद्यालय के भवन, उपस्कर एवं अन्य शैक्षिक सुविधाओं से सम्बंधित कार्य किये जा सकें।
- विद्यालय में पढ़ रहे छात्रों के माता–पिता और अन्य लोगों से वित्तीय सहायता एवं चंदा प्राप्त करना।
- राज्य और अन्य विकास योजनाओं के आधार पर विद्यालय के प्रावधानों के विस्तार और अन्य सुविधाओं के लिए विकास कार्य करना एवं यह सुनिश्चित करना कि सहयोगी धन राशि का सही ढंग से उपयोग किया गया है।
- यह सुनिश्चित करना कि राज्य और केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं और नीतियों के तहत काम किया जा रहा है।

सदस्यता : इस समिति के सदस्य निम्नलिखित होते हैं –

- सम्बंधित विद्यालय के छात्रों के माता–पिता या अभिभावक।
- सम्बंधित विद्यालय का प्रत्येक अध्यापक।
- सम्बंधित विद्यालय के कार्यक्षेत्र में निवास करने वाले प्रमुख, प्रधान, सरपंच, नगर पालिका अध्यक्ष एवं समस्त जिला परिषद, नगर पालिका पार्षद, पंचायत समिति सदस्य।
- समिति की कार्यकारिणी समिति में निर्वाचित/मनोनित शेष सदस्य जो उपरोक्त में शामिल नहीं है।

कार्यकारिणी समिति : विद्यालय को सुचारु रूप से चलाने के लिए कार्यकारिणी समिति बनाई जाती है जिसके सदस्य निम्नलिखित होते हैं:–

- विद्यालय का प्रधानाध्यापक।
- विद्यालय से एक पुरुष एवं एक महिला अध्यापक।
- संबंधित वार्ड जिसमें विद्यालय स्थित है, का स्थानीय प्राधिकारी का निर्वाचित व्यक्ति।
- छात्रों के माता–पिता/संरक्षकों में से विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा निर्वाचित 11 सदस्य।

कार्यकारिणी सभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का चयन साधारण समिति के सदस्यों द्वारा किया जाता है, इनमें अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के अलावा 11 सदस्य और होते हैं जिसमें कम से कम 6 महिलायें, 1 अनुसूचित जाति एवं 1 अनुसूचित जनजाति वर्ग का व्यक्ति होना चाहिए। कार्यकारिणी समिति की बैठक हर तिमाही में एक बार होनी चाहिए।

कार्यकारिणी समिति की जिम्मेदारी है कि वह विद्यालय के कार्यों का रखरखाव एवं अनुशासन बनाये रखने के साथ सरकार की

नीतियों को विद्यालय में लागू करे एवं विद्यालय को सुचारु रूप से संचालित करे। इसके अलावा विद्यालय के लेखे–जोखों का निरीक्षण करना भी कार्यकारिणी समिति की जिम्मेदारी है।

साधरण सभा : ऊपर उल्लेखित सभी लोग साधारण सभा के सदस्य होते हैं। कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव साधारण समिति के भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव होंगे। समिति के सभी सदस्य साधारण सदस्य होंगे। साधारण सभा के सदस्यों द्वारा कोई शुल्क व चन्दा प्रारंम्भ से अनिवार्य नहीं होगा एवं वे स्वंय की इच्छानुसार चंदा दे सकते हैं। समिति की साधारण सभा दो–तिहाईं बहुमत से वार्षिक सदस्यता शुल्क तय कर सकती है।

सदस्यता की समाप्ति : मृत्यु होने पर, त्याग पत्र देने पर, निर्वाचित सदस्यों के पुनः निर्वाचित नहीं होने पर एवं विद्यार्थियों के विद्यालय छोड़ देने पर माता–पिता या अभिभावक की सदस्यता समाप्त हो जाती है।

साधारण सभा के सदस्यों के अधिकार एवं कर्तव्य : अगर विद्यालय की आय कम है और व्यय ज्यादा है तो विद्यालय के विकास हेतु आवश्यक धन राशि के लिए सामान्य जनता एवं अन्य दानदाताओं से आर्थिक सहायता/दान प्राप्त करने हेतु कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श करना एवं निर्णय लेना।

साधारण सभा की बैठक प्रत्येक वर्ष जुलाई से मार्च तक हर तिमाही में एक बार होनी चाहिए, लेकिन जरूरत पड़ने पर यह बैठक कभी भी सचिव/अध्यक्ष द्वारा करवाई जा सकती है। साधारण सभा की बैठक का कोरम पूरा करने हेतु इसके कम से कम 25 सदस्यों का उपस्थित होना आवयशक है।

स्वास्थ्य विभाग

राज्य में प्रारम्भिक स्वास्थ्य सेवा के ढ़ांचे में तीन तरह के स्वास्थ्य केन्द्रों/अस्पतालों/संस्थानों को शामिल किया गया है। प्राथमिक स्तर पर 3000 से 5000 की आबादी पर एक उप–स्वास्थ्य केंद्र (एस.एच.सी.), 20000 से 30000 की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पी.एच.सी) और 80,000 से 1.2 लाख की आबादी पर ब्लाक एवं अन्य स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सी.एच.सी.) स्थापित किये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर रोगी कल्याण समिति (आर.एम.आर.एस.) और ग्राम स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण एवं पेयजल समिति (वी.एच.एन.एच.सी.) की स्थापना का प्रावधान है।

तालिका 1: आबादी के अनुसार विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना हेतु मानक

आबादी	स्वास्थ्य केन्द्र
3000–5000	उप–स्वास्थ्य केन्द्र
20,000–30,000	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
80,000–1,20,000	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
	जिला स्वास्थ्य केन्द्र
	मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल

स्रोतः भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक (IPHS), 2012

पुस्तिका के इस खंड में ब्लॉक एवं निम्न स्तर पर सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों और समितियों को आवंटित होने वाले निर्बन्ध संसाधनों (अनटाईड फण्ड) का विवरण दिया गया है जिन पर मुख्य रुप से समितियों के माध्यम से स्थानीय समुदाय का नियंत्रण रहता हैं। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि इन संसाधनों का उपयोग किन–किन कार्यों के लिए किया जा सकता है।

उप स्वास्थ्य केन्द्र:

यह प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीच एक कड़ी का काम करता है जो कि माँ

और शिशु के स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, परिवार कल्याण, पोषण और संक्रमणीय बीमारियों के नियंत्रण के संबंध में सेवाएं प्रदान करता है।

उप स्वास्थ्य केन्द्र को उपलब्ध निर्बन्ध (अनटाईड) राशि : प्रत्येक उप केंद्र को प्रति वर्ष अधिकतम 18,500 रु. अनटाईड फण्ड के रूप में प्रदान किये जाते हैं जो एएनएम और सरपंच के संयुक्त खाते में रहते हैं।

निर्णयकर्ता : अनटाईड फण्ड की राशि उप स्वास्थ्य केन्द्रों में किन कार्यों के लिए व कितनी राशि खर्च की जाएगी, इसका निर्णय ए.एन.एम. और सरपंच द्वारा किया जाता है।

निर्बन्ध (अनटाईड) राशि का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जा सकता है:

- उप स्वास्थ्य केंद्रों के रख–रखाव संबंधी कार्यों के लिए:–
  - पानी एवं बिजली की व्यवस्था तथा उनके बिलों के भुगतान हेतु।
  - लघु निर्माण एवं मरम्मत संबंधी कार्य जैसे :– नल–बिजली फिटिंग, बिजली की टूटी–फूटी वायरिंग तथा पानी निकासी के लिए नाली को ठीक करना।
  - खिड़की व दरवाजे आदि के टूटे हुए कांचों को बदलने, दीवारों एवं छतों का सुधार, खिड़की व दरवाजों के लिए पर्दे, रंग–रोगन के लिए।
  - वृक्षारोपण।
  - मरीजों के बैठने के लिए चबूतरा निर्माण इत्यादि।
- महिला मरीज़ों की जाँच के लिए निजता (Privacy) की व्यवस्था, आवश्यक उपकरण एवं दवाईयों हेतु।
- रेफरल केंद्र तक गंभीर मरीजों को ले जाने के लिये वाहन व्यवस्था करने हेतु।
- मरीजों व अन्य लोगों को सरकार द्वारा स्वास्थ्य कल्याण के लिए शुरू किये गए कार्यक्रम संबंधी व अन्य जानकारी देने के लिए उप–स्वास्थ्य केंद्र भवन में वॉल पेटिंग हेतु।
- अतिविशिष्ट कार्य करने पर आशा को पुरस्कार देने के लिए।
- मरीज़ों के लिए स्वच्छ पेयजल हेतु केम्पर/मटके खरीदने के लिए, अंडर ग्राउन्ड पानी का टैंक बनवाकर आधा हॉर्सपॉवर की मोटर लगवाने तथा पानी का टैंकर मंगवाने के लिए।
- जांच –शिविरों का आयोजन करने के लिए।
- आई.यू.डी. इन्सर्शन कैम्प की व्यवस्था, परिवार कल्याण के प्रचार–प्रसार एवं आई.ई.सी के लिए।
- केंद्र की साफ–सफाई के लिए ब्लीचिंग पाउडर व कीटाणुनाशक, बाल्टी, मग, कचरापात्र व घड़ी आदि हेतु।

अनटाईड राशि का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता है:

- वाहन क्रय।
- ग्राम पंचायत सम्बन्धी अन्य खर्चों हेतु।
- कर्मचारियों की तनख्वाह का भुगतान।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र :

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मरीज़ों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के साथ 6 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए एक रेफरल इकाई के रूप में भी कार्य करता है। यह गंभीर मामलों को जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं उच्च सार्वजनिक अस्पताल में भेजता (Refer) है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उपलब्ध निर्बन्ध (अनटाईड) राशि : प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को प्रतिवर्ष न्यूनतम 87,500 रू. अनटाईड फण्ड के रूप में प्रदान किये जाते हैं। इससे अधिक राशि रोगी–भार के अनुसार आंवटित की जा सकती है।

निर्णयकर्ता : निर्बन्ध (अनटाईड) राशि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में किन कार्यों के लिए व कितनी खर्च की जाएगी, इसका निर्णय सेक्टर सभा (Sector Meeting) के दौरान लिया जाता है। सेक्टर सभा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सक, आशा सहयोगिनी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ANM) विभिन मामलों पर चर्चा करते हैं।

निर्बन्ध (अनटाईड) राशि का उपयोग निम्नलिखित कार्यो के लिए किया जा सकता है :

- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के रख–रखाव कार्यों के लिए :–
  - पानी एवं बिजली की व्यवस्था तथा उनके बिलों के भुगतान हेतु।
  - लघु निर्माण कार्य अथवा मरम्मत कार्य जैसे–नल–बिजली फिटिंग, बिजली की टूटी–फूटी वायरिंग तथा नालों को ठीक करना।
  - खिड़की व दरवाजे आदि के टूटे हुए कांचों को बदलने, दीवारों एवं छतों का सुधार, रंग–रोगन के लिए।
  - वृक्षारोपण।
  - मरीजों के बैठने के लिए चबूतरा निर्माण इत्यादि।
- महिला मरीजों की जांच के लिए निजता (Privacy) की व्यवस्था हेतु।
- मरीजों के लिए स्वच्छ पेयजल हेतु केम्प / मटके / वाटर कुलर / वाटर प्योरिफायर खरीदने के लिए।
- सामान्य प्रसव कराने के लिए आवश्यक उपकरण एवं दवाइयाँ, परीक्षण टेबल, डिलिवरी टेबल, बी.पी. मापक यंत्र, हिमोग्लोबिनोमीटर, कॉपर–टी इन्सर्शन किट, इंस्ट्रूमेंट ट्रे, बेबी ट्रे, वैट मशीन, ड्रेसिंग ड्रम, प्लास्टिक रबर शीट, स्टेथोस्कोप, बाल्टी, अटेंडेंट स्टूल, ड्रेसिंग का सामान आदि खरीदना।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपयोग में आने वाले विभिन्न उपकरणों, ट्रॉली, पलंग, अटेंडेंट स्टूल तथा अन्य फर्नीचर के मरम्मत एवं केंद्र की सफाई व्यवस्था के लिए।
- रेफरल केंद्र तक गंभीर मरीज़ों को ले जाने हेतु वाहन व्यवस्था के लिए।
- मरीज़ों व अन्य लोगों को सरकार द्वारा स्वास्थ्य कल्याण के लिए शुरू किये गए कार्यक्रमों से सम्बंधित जानकारी देने हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन में वॉल पेटिंग करवाना।
- अतिविशिष्ट कार्य करने पर आशा को पुरस्कार देने के लिए।
- जांच–शिविरों का आयोजन करने के लिए।
- आई.यू.डी. (I.U.D.) इन्सर्शन कैम्प की आवश्यक व्यवस्था, परिवार कल्याण के प्रचार–प्रसार एवं आई.ई.सी. सामग्री के लिए, ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस (Village Health & Nutrition Day) के दिन ड्रम बिटिंग के लिए प्रत्येक उप–स्वास्थ्य केन्द्र को 100 रु. की राशि दी जाती है।
- केंद्र की साफ–सफाई के लिए ब्लीचिंग पाउडर व कीटाणुनाशक बाल्टी, मग, कचरापात्र व घड़ी आदि की व्यवस्था हेतु।

अनटाईड राशि का उपयोग निम्नलिखित कार्यो के लिए नहीं किया जा सकता है:

- वाहन क्रय।
- प्रशिक्षण से संबंधित सामग्री, अखबार / मैगज़ीन / जर्नल में विज्ञापन आदि के लिये।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र :

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (Basic Minimum Services) के तहत राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया

जाता है। यह एक रेफरल इकाई की तरह काम करता है जहाँ निचले स्तर के स्वास्थ्य केंद्रों से गंभीर मामलों को भेजा (Refer) जाता है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उपलब्ध निर्बन्ध (अनटाईड) राशि : प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को प्रति वर्ष न्यूनतम 2,50,000 रु. अनटाईड फण्ड के रूप में प्रदान किये जाते हैं।

निर्णयकर्ता :– अनटाईड फण्ड की राशि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में किन कार्यों के लिए व कितनी खर्च की जाएगी, इसका निर्णय रोगी कल्याण समिति द्वारा किया जाता है।

निर्बन्ध (अनटाईड) राशि का उपयोग निम्म्लिखित कार्यों के लिए किया जा सकता है :

- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के रख–रखाव संबंधी कार्यों के लिए :–
  - पानी, बिजली व्यवस्था तथा उनके बिलों के भुगतान हेतु।
  - लघु निर्माण कार्य अथवा मरम्मत कार्य जैसेः– नल–बिजली फिटिंग, बिजली की टूटी–फूटी वायरिंग तथा नालों को ठीक करना।
  - खिड़कियों व दरवाजों के टूटे हुए कांचों को बदलने, दीवारों एवं छतों का सुधार एवं रंगरोगन हेतु।
  - वृक्षारोपण।
  - मरीज़ों के बैठने के लिए चबूतरा निर्माण इत्यादि।
- महिला मरीज़ों की जॉच के लिए निजता (Privacy) की व्यवस्था हेतु।
- मरीज़ों के लिए स्वच्छ पेयजल हेतु केम्पर / मटके / वाटर कुलर / वाटर प्योरिफायर खरीदने के लिए।
- सामान्य प्रसव कराने के लिए आवश्यक उपकरण एवं दवाइयाँ, परीक्षण टेबल, डिलिवरी टेबल, बी.पी. मापक यंत्र, हिमोग्लोबिनोमीटर, कॉपर–टी इन्सर्शन किट, इंस्ट्रूमेंट ट्रे, बेबी ट्रे, वैट मशीन, ड्रेसिंग ड्रम, प्लास्टिक रबर शीट, स्टेथोस्कोप, बाल्टी, अटेंडेंट स्टूल, ड्रेसिंग का सामान आदि खरीदना।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उपयोग में आने वाले विभिन्न उपकरणों, ट्रॉली, पलंग, अटेंडेंट स्टूल एवं अन्य फर्नीचर की मरम्मत तथा केंद्र की सफाई व्यवस्था हेतु।
- मरीज़ों व अन्य लोगों को सरकार द्वारा स्वास्थ्य कल्याण के लिए शुरू किये गए कार्यक्रमों से सम्बंधित जानकारी देने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन में वॉल पेटिंग करवाना।
- गंभीर मरीज़ों को जिला अस्पताल / मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाने हेतु वाहन व्यवस्था के लिए। प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अपने स्तर पर वाहन दर तय करके अपने सम्बंधित राजस्थान मेडिकल रिलिफ सोसाइटी (R.M.R.S.) द्वारा इसको स्वीकृत करवाता है।
- क्षेत्र में अचानक होने वाली बीमारी के प्रकोप के दौरान दवा उपलब्ध करवाने, एन्टी रैबिज खरीदने, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने, आई.यू.डी. (I.U.D.) इन्सर्शन कैम्प की व्यवस्था, परिवार कल्याण के प्रचार–प्रसार एवं आई.ई.सी. (I.E.C.) सामग्री के लिए।
- केंद्र की साफ–सफाई के लिए ब्लीचिंग पाउडर व कीटाणुनाशक बाल्टी, मग, कचरापात्र व घड़ी आदि की व्यवस्था हेतु।

अनटाईड राशि का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता है:

- वाहन क्रय
- प्रशिक्षण से संबंधित सामग्री, अखबार / मैगजीन / जर्नल में विज्ञापन आदि।

रोगी कल्याण समिति :

स्वास्थ्य केन्द्रों से संबद्ध रोगी कल्याण समिति, राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए एवं राशि/फण्ड में बढ़ोतरी व उनका उपयोग करने के लिए स्वायत्तशासी संस्था है। इस समिति के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, अनाथ, लावारिस, विधवा, कैदी व 65 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं निःशुल्क/कम मूल्य पर उपलब्ध कराने के निर्देश हैं। इस समिति का कार्यक्षेत्र उस चिकित्सालय या औषधालय तक होगा जिसके लिये यह समिति बनाई गई है। समिति की आय व व्यय का पृथक लेखा–जोखा रखा जाता है तथा राष्ट्रीय बैंक में समिति के नाम से बैंक खाता खोलने की व्यवस्था की गयी है। विभिन्न स्तर के चिकित्सालयों में इस समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के तौर पर संबंधित स्तर (संभाग, जिला एवं ब्लॉक) के प्रशासनिक अधिकारियों को मनोनीत करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त समिति के सदस्यों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, दानदाताओं एवं समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शामिल करने का प्रावधान है।

उद्देश्य :

- चिकित्सालय के विकास के साथ–साथ सभी रोग उन्मुख सेवाओं को सुदृढ़ एवं विकसित करना।
- चिकित्सालय के माध्यम से रोगियों को उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता की जांच सुविधाएं, दवाईयां एवं आवश्यकता अनुसार अन्य सामग्री उपलब्ध करवाना।
- अस्पताल भवन की साफ–सफाई, शौचालय का रख–रखाव, सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाएं जैसे–मरम्मत, रंग–रोगन, पानी, बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- आपातकालीन स्थितियों जैसे महामारी आदि में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना।

राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी : उपयोग शुल्क (गैर बजट) :

राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी एक स्वायत्तशाषी (Autonomous) संस्था होती है, जिसका मुख्य उद्देश्य राजकीय चिकित्सालयों के माध्यम से राज्य की जनता को सस्ती एवं गुणवत्ता पूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। सोसायटी के माध्यम से वंचित वर्ग एवं विशेष श्रेणी के रोगियों को निशुल्क सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं। विभाग के अधीनस्थ संचालित सभी चिकित्सा संस्थानों यथा जिला चिकित्सालय, उप जिला चिकित्सालय, सामान्य चिकित्सालय, सैटेलाइट चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी कार्यरत है। सोसायटी द्वारा सस्ती एवं गुणवत्ता पूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ–साथ चिकित्सालय के विकास एवं अन्य रोगी उन्मुख सेवाओं का भी ध्यान रखा जाता है। राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी से संबंधित आदेश परिशिष्ट संख्या 3 पर संलग्न है।

इस योजना की सफलता एवं उपयोगिता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक मेडिकेयर रिलीफ सोसायटियों का गठन किया गया है। विभाग के अधीनस्थ सभी चिकित्सा संस्थाओं में इस सोसायटी का नाम राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी होता है लेकिन यह सोसायटी जिस चिकित्सालय में संचालित होगी उस चिकित्सालय का नाम साथ में लिखा जाता है।

सोसायटी का उद्देश्य :

- चिकित्सालय के विकास के साथ सभी रोग उन्मुख सेवाओं को सुदृढ़ एवं विकसित कराना।
- चिकित्सालय के माध्यम से रोगियों को उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता की जाँच सुविधाएं, दवाइयां एवं आवश्यकतानुसार अन्य समग्री उपलब्ध कराना।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनाथ, लावारिश, विधवा, मेहरानगढ़ दुखांतिका दुर्घटनाग्रस्त, हिमोफिलिया,

थैलीसिमिया, पेंशनर्स व 60 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ट नागरिकों को निशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराना।

- अस्पताल भवन परिसर की साफ सफाई, सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाएं अनुबंध आधार पर सुनिश्चित कराना।
- शौचालय एवं मूत्रालय का रख–रखाव।
- कोटेज / डी–लक्स / सामान्य वार्ड, साइकिल स्टेंड, कैंटीन एवं धर्मशाला व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- आपातकालीन परिस्थतियों– महामारी, आपदा इत्यादि में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करना।
- रोगियों की सुविधाओं का विस्तार करना एवं उचित मूल्य पर दवाइयां उपलब्ध कराने हेतु मेडिकेयर ड्रग स्टोर का संचालन कराना।
- अस्पताल भवन, परिसर का रख–रखाव यथा मरम्मत, रंग रोगन, पानी, बिजली आदि की व्यवस्था करवाना।

सोसायटी की कार्यकारिणी : सोसायटी को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक कार्यकारिणी का गठन किया जाता है जिसका स्वरुप चिकित्सालय की बिस्तर संख्या के अनुरूप राज्य के विभिन्न स्तर के चिकित्सालयों में भिन्न भिन्न होता है। कार्यकारिणी में तीन पदाधिकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव एवं कम से कम पांच सदस्य होने का प्रावधान है। राज्य के विभिन्न स्तर के चिकित्सालयों की कार्यकारिणी का स्वरूप भिन्न भिन्न होता है। कार्यकारिणी की एक माह में दो बार बैठक होना आवश्यक है। आवश्यकता होने पर अतिरिक्त बैठक बुलाई जा सकती है लेकिन वर्ष में कम से कम 6 बैठक होना आवश्यक है।

सदस्यता के प्रकार : सोसायटी में दो प्रकार के सदस्यों (स्थायी एवं आमंत्रित) का प्रावधान है।

1. **स्थायी सदस्य :** स्थायी सदस्य के रूप में संबंधित विधायकगण, प्रधानगण, सरपंचगण, अध्यक्ष / चैयरमैन / सभापति, जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी / कर्मचारी आदि स्थाई सदस्य के रूप में मनोनीत किये जा सकते हैं।
2. **आमंत्रित सदस्य :** आमंत्रित सदस्यों में राजकीय एवं गैर राजकीय दोनों प्रकार के व्यक्ति होते हैं :
   - राजकीय सदस्य– राजकीय विभागों, उपक्रमों के अधिकारी व कर्मचारी आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। इनके मनोनयन व चयन की आवश्यकता नहीं होती है।
   - गैर राजकीय– गणमान्य नागरिक / सामाजिक कार्यकर्ता / दानदाता आदि, अध्यक्ष की अनुशंषा पर निर्देशक के अनुमोदन पश्चात आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य करते हैं, जिनकी सदस्यता अधिकतम दो वर्ष की होती है।

वित्तीय नियम (आय एवं प्राप्तियां) : राज्य में विभिन्न स्तर के अस्पतालों द्वारा अलग–अलग सेवाओं हेतु लिया जाने वाले उपयोग शुल्क (User Fees) का प्रबंधन राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी (RMRS) द्वारा किया जाता है। विभिन्न प्रकार की सेवाओं हेतु लिये जाने वाले शुल्कों (Fees) से एकत्रित राशि गैर बजट संसाधनों (Off Budget Resource) की तरह ही होती है।

- आउटडोर व इंडोर रोगी पंजीकरण शुल्क, आगंतुक पास शुल्क आदि।
- निशुल्क जाँच योजना के अतिरिक्त संस्थान पर उपलब्ध करायी जाने वाली जांचों के शुल्क आदि।
- विभिन्न सेवाओं जैसे सर्जीकल ऑपरेशन, आई.सी.यू., अनेक प्रकार की थैरेपी एवं अन्य विशिष्ट सेवाओं पर शुल्क।
- कोटेज वार्ड्स / स्पेशल वार्ड्स / अतिथि गृह / धर्मशाला आदि का किराया।
- मेडिकेयर ड्रग स्टोर / लाइफ लाइन ड्रग स्टोर से प्राप्त संविदा राशि।
- साइकिल स्टेण्ड, केन्टीन, एस.टी.डी. बूथ आदि से संविदा राशि।
- दुकानों, ऑडिटोरियम व अन्य परिसम्पतियों का किराया।
- आरएमआरएस की विभिन्न जमाओं पर ब्याज।
- निविदा फार्म विक्रय राशि, जब्त की गई बयाना राशि (EMD) एवं सुरक्षा राशि।

सोसायटी द्वारा प्राप्त राशि का उपयोग : इस राशि का उपयोग निम्नलिखित कार्यों हेतु किया जा सकता है:

- विभिन्न जाँचों हेतु सामग्री, आपातकालीन परिस्थितियों हेतु दवा एवं अन्य आवश्यक सामग्री क्रय करने तथा केमिकल्स, एक्स–रे, सी.टी. स्केन, सोनोग्राफी फिल्म्स एवं मशीनों तथा उपकरणों की मरम्मत एवं रखरखाव आदि पर व्यय।
- विभिन्न रोगी सेवाओं जैसे ट्रोली सेवा, सुरक्षा व सफाई आदि की संविदा पर राज्य सरकार से प्राप्त राशि के अतिरिक्त व्यय।
- नए उपकरणों एवं मशीन की खरीद एवं बिजली पानी आदि पर राज्य सरकार से प्राप्त राशि के अतिरिक्त व्यय।
- चिकित्सालय हेतु फर्नीचर (पलंग, लोकर आदि), एयरकंडीशनर्स, कूलर, पंखों आदि की खरीद एवं रखरखाव।
- अतिथि भवन, ओडीटोरियम, रेन बसेरा, धर्मशाला आदि के भवन, फर्नीचर एवं अन्य सामग्री का क्रय एवं रखरखाव, चिकित्सालय भवन की मरम्मत, रंग रोगन व रखरखाव।
- सोसायटी के संचालन हेतु संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को मानदेय का भुगतान।
- मौसमी बिमारियों, आपदा, दुर्घटना व अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में प्रभावितों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना।
- चिकित्सा विशेषज्ञ की अनुपलब्धता अथवा विशेष जाँच सुविधा संस्थान पर उपलब्ध नहीं होने पर विभागीय अनुमति से संविदा आधार पर हायर करना।
- अस्पताल परिसर में नवनिर्माण तथा बगीचे और पेड़ पौधों के रख–रखाव पर व्यय, सोसायटी हेतु कार्यालय व्यय, स्टेशनरी एवं डाक व्यय, ऋण भुगतान, टेली सॉफ्टवेर में आरएमआरएस का लेखा संधारण पर व्यय एवं बायो–मेडिकल वेस्ट के निस्तारण सम्बन्धी व्यय आदि।
- फायर सेफ्टी / पीसीपीएनडीटी / बायो मेडिकल वेस्ट / प्रदुषण नियंत्रक / क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट व अन्य अधिनियम के अंतर्गत किये जाने वाला व्यय।
- सदस्य सचिव 1000 रु. तक प्रति बैठक के लिए व्यय कर सकते हैं। बैठक में चाय नाश्ते पर व्यय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक नहीं होना चाहिये।

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के सम्बन्ध में निम्नलिखित मदों पर व्यय –

- सेवा प्रदाता के माध्यम से नियुक्त स्वास्थ्य मार्गदर्शकों को मानदेय एवं सेवा प्रदाता को देय सर्विस टेक्स इत्यादि।
- बीएसबीवाई काउंटर हेतु कंप्यूटर / प्रिंटर / स्केनर / बायोमेट्रिक डिवाइस / वेब कैमरा का क्रय एवं उनका रख–रखाव इत्यादि।
- भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना (बीएसबीवाई) के अंतर्गत मरीजों हेतु उन दवाइयों की खरीद व जांचों पर व्यय जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना या मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में शामिल नहीं है अथवा तत्काल उपलब्ध नहीं है।

ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल एवं पोषण समिति (V.H.S.N.C):

ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल एवं पोषण समिति (वी.एच.एस.एन.सी) गांव स्तर पर होती है जो सभी वर्गों के लिए स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु गांव स्तर के संस्थान के रूप में कार्य करती है। वी.एच.एस.एन.सी. में पहले 7 सदस्यों का प्रावधान था जिसको जून, 2016 के आदेश में संशोधित कर 15 सदस्यों का प्रावधान किया गया है जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट संख्या 4 पर संलग्न है। इस समिति में आशा कार्यकर्ता को सदस्य सचिव एवं संयोजक तथा संबंधित गांव की महिला वार्डपंच / सरपंच को अध्यक्ष बनाये जाने का प्रावधान है।

उद्देश्य :

- समुदाय को स्वास्थ्य कार्यक्रमों और सरकारी पहल के बारे में सूचित करना।
- समुदाय को सुविधाएं उपलब्ध कराना जिसके अंतर्गत वह अपनी स्वास्थ्य आवश्यकताओं, अनुभवों और सुविधाओं की पहुंच से संबंधित अपने विचार रख सकें।
- स्वास्थ्य कर्मियों जैसे आशा और अन्य फ्रंटलाइन देखभाल प्रदाताओं को काम में सुविधाएं देना।
- सामाजिक निर्धारकों और सभी सार्वजनिक सेवाओं पर कार्रवाई करना जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वास्थ्य और स्वास्थ्य परिणामों को प्रभावित करते हैं।
- कार्यक्रमों एवं योजनाओं के कार्यान्वयन में भाग लेने के लिए समुदाय को सक्षम करना और गांव में स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर करने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करना।

समिति का गठन : वी.एच.एस.एन.सी के कार्यों एवं गतिविधियों में सभी वर्गों की प्रभावी भागीदारी रखने के लिए निम्नानुसार उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिएः

- समिति में न्यूनतम 15 सदस्य होने चाहिए।
- इसमें से 50 प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए।
- राजस्व गांव में सभी श्रेणी के व्यक्तियों जैसे– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों को वी.एच.एस.एन.सी में इनकी आबादी के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।
- समुदाय आधारित संगठनों जिनमें स्वयं सहायता समूह, वन प्रबंधन समितियों, युवा समितियों के प्रतिनिधियों का भी उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिये।

समिति के अध्यक्ष एवं सचिव : इस समिति की अध्यक्ष संबंधित गांव की महिला पंच (वार्डपंच) होती है इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति को प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान है। संबंधित गांव में यदि महिला पंच नहीं है तो अनुसूचित जाति/जनजाति के किसी पंच को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आशा कार्यकर्ता इस समिति की सदस्य सचिव एवं संयोजक होती है।

समिति को उपलब्ध निर्बन्ध (अनटाईड) राशि एवं बैंक खाता रख–रखाव :

- प्रत्येक वी.एच.एस.एन.सी. को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) से 10,000 रु. का वार्षिक निर्बन्ध अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।
- इसके अलावा इस समिति (VHSNC) को अतिरिक्त अनुदान देने के लिए हर गांव स्वतंत्र है।
- इस समिति का बैंक खाता नजदीकी बैंक में खोला जाता है एवं आवंटित राशि को समिति के बैंक खाते में जमा किया जाता है। बैंक खाते से अनुदान राशि निकालने के लिये आशा/स्वास्थ्य लिंक कर्मचारी/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं इस समिति के अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर आवश्यक हैं।
- इस समिति को आवंटित की गयी पूरी राशि, किये गये कार्यों/गतिविधियों और व्यय के रिकॉर्ड एक रजिस्टर में दर्ज किये जाते हैं, जिसे सार्वजनिक जांच और ए.एन.एम/एम.पी.डब्ल्यू/ग्राम पंचायत के निरीक्षण के लिए उपयोग में लिया जाता है।
- डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट (DPMU), वी.एच.एस.एन.सी पर एक डेटाबेस रखती है।

निर्बंध अनुदान (Untied Fund) के उपयोग के लिए दिशानिर्देश : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के दिशानिर्देशों के अनुसार इस राशि का उपयोग निम्न गतिविधियों पर किया जा सकता हैः

- सामुदायिक गतिविधियों हेतु इस राशि का उपयोग इस तरह से करना होता है ताकि अधिकतम परिवारों को लाभान्वित किया जा सके।
- स्वच्छता अभियान, स्कूलों में स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों, स्वच्छता ड्राइव, आई.सी.डी.एस, आंगनवाड़ी स्तर की गतिविधियों, घरेलू सर्वेक्षण इत्यादि जैसे ग्राम स्तर की सार्वजनिक स्वास्थ्य गतिविधियों हेतु।
- एक निराश्रित महिला या बेहद गरीब परिवार के असाधारण मामले एवं गरीब बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिये भी इस राशि का उपयोग किया जा सकता है।
- इस अनुदान का उपयोग प्रमुख रुप से पोषण, शिक्षा और स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय और पर्यावरण संरक्षण में होना चाहिए।
- कुछ सामान्य गतिविधियां जिनके लिए धन पहले से ही उपयोग में लिया गया है जैसे–गांव स्तर के स्वच्छता संबंधी कार्य, स्कूलों में स्वास्थ्य गतिविधियां, आई.सी.डी.एस/आंगनवाड़ी स्तर पर स्वास्थ्य जागरूकता गतिविधियों या आंगनवाड़ी की सुविधाओं में सुधार करना, घरेलू सर्वेक्षण कराना, आपातकालीन स्थितियों में एम्बुलेंस सेवाओं की पहुंच हेतु परिवहन संचार लिंक का निर्माण करना, आईईसी (IEC) सामग्री या नोटिस आदि के प्रकाशन के लिए किया जा सकता है।

आपातकालीन मामलों में यह महत्वपूर्ण है कि समिति के सदस्य सचिव को कम मात्रा अर्थात् 1000 रूपये तक का खर्च आवश्यक और तत्काल गतिविधियों पर करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके लिए गतिविधि, बिल और वाउचर का ब्यौरा अगली वी. एच.एस.एन.सी. मीटिंग में जमा किया जा सकने का प्रावधान होना चाहिए।

प्रतिबंधित गतिविधियाँ :

- वी.एच.एस.एन.सी की अनुदान राशि को प्राथमिक रूप से उन कार्यों या गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए जिनके लिए पंचायतीराज संस्थाओं या अन्य विभागों के माध्यम से धन आवंटन उपलब्ध है।
- डुप्लिकेशंस/प्रतिलिपी गतिविधियों पर ऐसे अनुदान राशि का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

रिकॉर्ड्स रखना : वी.एच.एस.एन.सी द्वारा बनाए जाने वाले रिकॉर्ड्स निम्नानुसार हैं :

- मीटिंग्स में उपस्थिति होने का रिकॉर्ड।
- बैंक पासबुक, कैश बुक–जिसमें सभी व्यय का ब्यौरा हो।
- गांव स्वास्थ्य रजिस्टर, जन्म रजिस्टर एवं मृत्यु रजिस्टर ।
- लोक सेवा निगरानी उपकरण और रजिस्टर।
- वी.एच.एस.एन.सी का व्यय स्टेटमेंट, जिसमें सभी गतिविधियों और व्यय का विवरण होता है। इसका उपयोग द्वि–वार्षिक बैठकों में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत द्वारा, एन.आर.एच.एम के ब्लॉक स्तर के संबंधित कार्यकर्ताओं को भेजने के लिए किया जा सकता है।

गैर बजटीय संसाधन (राशियाँ)

गैर बजटीय संसाधन (Off Budget Resources) सरकार के ऐसे संसाधन है जो बजट में शामिल नहीं रहते हैं। अर्थात् वे संसाधन जो राज्य बजट का हिस्सा नहीं होते हैं एवं इनका विवरण बजट दस्तावेजों में नहीं दिया जाता है। कई बार सरकारें अपना कर्ज़ कम दिखाने या खर्च कम दिखाने के प्रयास में कई कर्ज़ों या खर्चों को सरकार के बजट में नहीं दिखाकर सरकारी कंपनियों/संस्थानों या स्थानीय निकायों के खाते में दिखाती हैं।

इसके अलावा ऐसे फंड, जो किसी कानून के अंतर्गत निर्मित होते हैं लेकिन सरकार के खाते में नहीं दिखाए जाते हैं, वे भी गैर बजट संसाधन हैं। इनमें प्रमुख रुप से जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास कोष, कैम्पा (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority) कोष, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण (Building & Other Construction Workers Welfare Board) कोष आदि प्रमुख हैं। इन कोषों के धन का उपयोग जिला एवं निम्न स्तर पर विकास संबंधी विभिन्न कार्यों एवं गतिविधियों हेतु किया जा सकता है। पुस्तिका के इस खंड में इन गैर बजटीय अनुदानों–जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास कोष एवं कैम्पा (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority) कोष का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का भी संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास (District Mineral Foundation Trust):

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) कानून खानों के विनियम और खनिजों के विकास के लिए अधिनियम (1957) बनाया गया था जिसे साल 2015 में संशोधित किया गया। खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के अनुसार खनन से प्रभावित क्षेत्रों और लोगों के विकास के लिए हर जिले में एक फाउंडेशन की स्थापना की गयी जिसे जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास (District Mineral Foundation Trust- DMFT) के नाम से जाना जाता है। इस न्यास एवं निधि के संचालन के लिये राजस्थान सरकार ने राजस्थान जिला खनीज प्रतिष्ठान न्यास नियम 2016 लागू किया जिसे 2018 में संशोधित किया गया। इसका मुख्य पृष्ठ परिशिष्ट संख्या 5 पर संलग्न है।

इसके अनुसार खनन पट्टे के प्रत्येक धारक को रॉयल्टी के अलावा जिले के जिला खनिज प्रतिष्ठान को कुछ राशि का भुगतान करना होता है। इसके प्रावधानों के अनुसार 12 जनवरी, 2015 से पहले खनन पट्टे के सन्दर्भ में रॉयल्टी का 30 प्रतिशत एवं 12 जनवरी, 2015 को या उसके बाद प्रदान किये जाने वाले संभावित लाइसेंस–सह–खनन पट्टे के सन्दर्भ में रॉयल्टी की 10 प्रतिशत राशि का भुगतान जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास को करना होता है।

इस राशि के सही उपयोग और प्रभावित क्षेत्रों तथा व्यक्तियों के विकास हेतु वर्ष 2016 में राज्य सरकार ने एक नियम पारित किया जिसके तहत राजस्थान के प्रत्येक जिले में एक ट्रस्ट, जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास (DMFT) की स्थापना की गयी। इसका कार्यालय प्रत्येक जिले के जिला परिषद् कार्यालय में होता है। इस निधि से किये जाने वाले कार्यों/गतिविधियों को ही खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के नाम से जाना जाता है।

प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) **के उद्देश्य:**

- खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकास और कल्याणकारी कार्यक्रमों/परियोजनाओं को लागू करना। ये कार्यक्रम राज्य और केंद्र सरकार की मौजूदा चल रही योजनाओं/परियोजनाओं के पूरक होंगे।
- खनन क्षेत्र के जिलों में खनन के दौरान और बाद में लोगों के स्वास्थ्य, पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर, गलत प्रभाव को कम करना।
- खनन क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के लिए लम्बे समय के लिए टिकाऊ आजीविका सुनिश्चित करने के लिए।

निधि का उपयोग :

पीएमकेकेकेवाई के तहत निम्न कार्य करवाये जा सकते हैं।

(1) **उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र :–** पीएमकेकेकेवाई की कम से कम 60 प्रतिशत राशि का उपयोग उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ही किया जाना चाहिये। नियम के अनुसार उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र/मद निम्न हैं:

- **पेयजल आपूर्ति :** पेयजल आपूर्ति प्रणाली के लिए पाइप लाईन बिछाना, केन्द्रीयकृत शोधन प्रणाली, जल प्रशोधन संयंत्र।
- **पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय :** जलधाराओं, झीलों, तालाबों, भू–जल एवं अन्य जल स्रोतों के प्रदुषण का निवारण, खनन गतिविधियों द्वारा उत्पन्न ध्वनि, वायु और भूमि प्रदुषण को नियंत्रित करना।
- **स्वास्थ्य देखभाल :** प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक/द्वितीयक स्वास्थ्य सेवाओं/सुविधाओं के सृजन पर ध्यान केन्द्रीत करना एवं ईएसआई सुविधाओं को प्रभावी बनाने के लिए अपेक्षित आवश्यक कर्मचारियों और उपकरणों की व्यवस्था पर भी ज़ोर देना।
  - राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान के पास उपलब्ध राशि को खनन से सम्बंधित रोगों और बीमारियों की देखभाल के लिए आवश्यक विशेष अवसंरचना तैयार करने में उपयोग किया जा सकेगा।
  - खनन गतिविधियों एवं कार्यों से संबंधित स्वास्थ्य के खतरों से प्रभावित स्थानीय खान कामकारों के कल्याण, उनकी स्वास्थ्य की स्थिति के सुधार और सुरक्षा के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच शिविरों के लिए धन का उपयोग किया जा सकेगा। खनन प्रभावित व्यक्तियों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए सामूहिक बीमा योजना क्रियांवित की जा सकती है।
- **शिक्षा :** विद्यालय के भवनों, अतिरिक्त कक्षा–कक्षों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, कला एवं शिल्प कक्ष, शौचालय, पेयजल व्यवस्था, दूरस्थ क्षेत्रों में विद्यार्थियों/अध्यापकों के लिए आवासीय छात्रावासों का निर्माण, खेल अवसंरचना, ई–लर्निंग सेट–अप की व्यवस्था, परिवहन सुविधाओं और पोषण संबंधी अन्य कार्यक्रमों की व्यवस्था।
- **महिलाओं और बच्चों का कल्याण :** मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की समस्याओं, कुपोषण, संक्रामक बीमारियों इत्यादि के लिए विशेष कार्यक्रम इस योजना के अधीन शुरू किये जा सकेंगे।
- **वृद्ध और विकलांग लोगों का कल्याण :** वृद्ध और निःशक्त लोगों के कल्याण के लिए विशेष कार्यक्रम।
- **कौशल विकास :** कौशल विकास केंद्र का विकास, प्रशिक्षण, स्व–रोजगार योजनाओं का विकास एवं स्वयं–सहायता समूहों को समर्थन।
- **स्वच्छता :** अपशिष्ट के संग्रहण, सार्वजनिक स्थानों की सफाई, समुचित जल निकास, मल–प्रवाह उपचार संयंत्र की व्यवस्था और शौचालयों की व्यवस्था।

(2) **अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र :** निम्नलिखित क्षेत्रों/मदों के अंतर्गत पीएमकेकेकेवाई की 40 प्रतिशत तक की राशि का उपयोग निम्न अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों/मदों में किया जा सकता है।

- **भौतिक मूलढ़ांचा :** ढ़ांचागत सुविधाओं से संबंधित परियोजनाओं जैसे– सड़क, पुल, रेल और जलमार्ग का निर्माण करना।
- **सिंचाई :** सिंचाई के वैकल्पिक स्रोत विकसित करना, सिंचाई की उपयुक्त और उन्नत तकनीकें अपनाना।
- **ऊर्जा और वाटरशेड विकास :** ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों और वर्षा जल संचयन प्रणाली का विकास तथा वृक्षारोपण।
- खनन जिलों में पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कोई अन्य उपाय करना।

लाभार्थी – राजस्थान का जिला खनिज न्यास नियम के अनुसार इसके लाभार्थी वो क्षेत्र एवं व्यक्ति हैं जो क्षेत्र में होने वाले खनन कार्यों से प्रभावित हैं और इसमें वे मरीज़ और उनके कानूनी वारिस भी शामिल हैं जो रिहैब (RHAB) से लाभ लेने के हक़दार हैं।

प्रभावित क्षेत्र व व्यक्ति : PMKKKY से संबधित आदेश के अनुसार प्रभावित क्षेत्र व व्यक्ति निम्न हैं:

प्रभावित क्षेत्र :

1. **प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र :** जहाँ प्रत्यक्ष खनन संबंधी गतिविधियां/कार्य जैसे उत्खनन, खनन, विस्फोट करना और अत्यधिक भरा हुआ कचरे का मैदान, अपशिष्ट युक्त तालाब इत्यादि स्थित हों।

- गांव और पंचायतें जिनके भीतर, खानें स्थित और क्रियाशील हों। ऐसे खनन क्षेत्र पड़ोसी ग्राम, खंड या जिले।
- किसी खान या खानों के समूह के ऐसे दायरे के भीतर का कोई क्षेत्र जो राज्य सरकार द्वारा तय किया गया हो।
- ऐसे गांव जिनमें खानों द्वारा विस्थापित किये गए परिवारों को परियोजना अधिकारियों द्वारा फिर से पुनर्वासित किया गया है।
- ऐसे गांव जो अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए मुख्य रूप से खनन क्षेत्रों पर प्रमुखता से निर्भर हैं।

2. अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र : वे क्षेत्र जहां स्थानीय जनसंख्या, खनन सम्बन्धी गतिविधियों/क्रियाओं के चलते आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय परिणामों के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हैं जैसे जल, मृदा और वायु की गुणवत्ता खराब होना, झरनों की कमी, प्रदुषण इत्यादि।

प्रभावित व्यक्ति :–

1. प्रत्यक्ष रुप से प्रभावित व्यक्तियों में उन लोगों को शामिल किया जाना चाहिए जो खनन की जाने वाली भूमि पर कानूनी एवं पेशेगत अधिकार रखते हैं और वे लोग भी, जो भोगाधिकार एवं पारंपरिक अधिकार रखते हों।

- प्रभावित परिवारों की पहचान जहां तक संभव हो ग्राम–सभा के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श से की जानी चाहिए।
- ट्रस्ट द्वारा ऐसे प्रभावित व्यक्तियों एवं समुदायों की एक सूची तैयार किये जाने का प्रावधान है।

काम कैसे होता है :

ट्रस्ट के समस्त निर्णय शासी परिषद की बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा लिए जाने का प्रावधान है। प्रबंध समिति की जिम्मेदारी परियोजनाओं को मंजूर करना और परियोजना से संबंधित कार्यों के लिए धनराशि उपलब्ध करवाना है।

शासी परिषद् के कार्य :

- ट्रस्ट के कामकाज के लिए एक नीतिगत ढांचा बनाना।
- ट्रस्ट के लिए वार्षिक कार्ययोजना और वार्षिक बजट तैयार करना।
- प्रबंध समिति की सिफारिशें अनुमोदित करना।

जिले में खनन संबंधी गतिविधियों के कारण प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों को आर्थिक मदद एवं लाभ दिया जाना सुनिश्चित करेगी।

शासी परिषद् की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार अवश्य होनी चाहिए।

शासी परिषद् के सदस्य :

जिला प्रमुख इस ट्रस्ट के अध्यक्ष व जिला मजिस्ट्रेट उपाध्यक्ष होते हैं एवं जिला विधानसभा के समस्त सदस्य, जिले में पदस्थापित खनन अभियंता, जिला समाज कल्याण अधिकारी, खनन गतिविधियों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों से समुदायों के प्रतिनिधि एवं कुछ अन्य व्यक्ति भी इस ट्रस्ट के सदस्य होते हैं।

तालिका: 2 – जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास के न्यासी

क्र. सं.	नाम	न्यास के शासी परिषद में न्यासी का पद
1	जिला प्रमुख	अध्यक्ष
2	जिला मजिस्ट्रेट	उपाध्यक्ष
3	जिला विधान सभा के समस्त सदस्य	न्यासी
4	जिले में पदस्थापित खनन अभियंता	सदस्य सचिव
5	उप वन संरक्षक	सदस्य
6	कोषाधिकारी	सदस्य
7	कार्यपालक अभियंता	सदस्य
8	जिला के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नामित चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
9	राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडल का प्रतिनिधि	सदस्य
10	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
10 (i)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	सदस्य
10 (ii)	उप निदेशक, कृषि	सदस्य
10 (iii)	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)	सदस्य
10 (iv)	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक)	सदस्य
10 (v)	अधिक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग	सदस्य
10 (vi)	प्रतिनिधि, जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग	सदस्य
10 (vii)	अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग	सदस्य
10 (viii)	जिला श्रम कल्याण अधिकारी	सदस्य
10 (ix)	उप निदेशक, समेकित बाल विकास योजना (ICDS)	सदस्य
11	सरकार द्वारा नामित खनन कार्यों के कारण प्रभावित क्षेत्रों से समुदायों के प्रतिनिधि (पांच तक)।	नामित ट्रस्टी
12	सरकार द्वारा नामित खनन कामगारों के प्रतिनिधि (दो तक)।	नामित ट्रस्टी
13	सरकार द्वारा नामित खनन क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठन	नामित ट्रस्टी
14	सरकार द्वारा नामित जिले में कार्य कर रहे तकनीकी खनन व्यक्ति	नामित ट्रस्टी
15	सरकार द्वारा नामित अन्य कोई अधिकारी/व्यक्ति	नामित ट्रस्टी

प्रबंध समिति : ट्रस्ट के कार्य प्रबंध समिति द्वारा संचालित किये जाने का प्रावधान है। प्रबंध समिति की बैठ़क दो माह में कम से कम एक बार आयोजित की जानी चाहिये।

प्रबंध समिति के कार्य–

- ट्रस्ट के कामकाज के लिए मास्टर प्लान बनाना।
- प्रस्तावित योजनाओं और परियोजनाओं के साथ ट्रस्ट की वार्षिक योजना और वार्षिक बजट तैयार करने में सहायता करना।

- नियमों के अनुसार सम्बंधित खनिज रियायत धारकों से अंशदान निधि का समय पर संग्रहण सुनिश्चित करना।
- ट्रस्ट निधि को सावधानीपूर्वक नियमों के अनुसार में संचालित करेगी और ट्रस्ट के नाम एक बैंक खाता खोलेगी तथा ऐसे खाते को संचालित करेगी।
- न्यास निधि के उपयोग की प्रगति की निगरानी करेगी।

तालिका: 3 – प्रबंध समिति के सदस्य एवं अन्य पदाधिकारी

क्र. सं.	नाम	पदनाम
1.	जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
2.	जिले में पदस्थापित खनन अभियंता	सदस्य सचिव
3.	उप वन संरक्षक	सदस्य
4.	कोषाधिकारी	सदस्य
5.	लोक निर्माण विभाग का कार्यपालक अभियंता	सदस्य
6.	जिला के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नामित चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
7.	राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडल का प्रतिनिधि	सदस्य
8.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
8 (i)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	सदस्य
8 (ii)	उप निदेशक, कृषि	सदस्य
8 (iii)	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)	सदस्य
8 (iv)	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक)	सदस्य
8 (v)	अधिक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग	सदस्य
8 (vi)	प्रतिनिधि, जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग	सदस्य
8 (vii)	अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग	सदस्य
8 (viii)	जिला श्रम कल्याण अधिकारी	सदस्य
8 (ix)	उप निदेशक, समेकित बाल विकास योजना (ICDS)	सदस्य
9.	सरकार द्वारा नामित खान अभियंता, सहायक खनिज अभियंता कार्यालय में पदस्थापित लेखा कार्मिक	सदस्य
10.	सरकार द्वारा नामित अन्य कोई अधिकारी/व्यक्ति	सदस्य

पारदर्शिता का अनुपालन : प्रत्येक जिले का ट्रस्ट अपनी एक वेबसाइट तैयार करेगा जिस पर निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की जायेंगी।

- ट्रस्ट की संरचना के ब्यौरे।
- खनन द्वारा प्रभावित क्षेत्रों और व्यक्तियों की सूची।
- पट्टेदारों और अन्य से प्राप्त सभी अंशदानो के तिमाही ब्यौरे।
- न्यास की सभी बैठकों की कार्य सूची।
- वार्षिक योजना एवं बजट, कार्य आदेश, वार्षिक रिपोर्ट।
- विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के अधीन हिताधिकारियों की सूची।

न्यास द्वारा अपने जिम्मे ली गई सभी परियोजनाओं की प्रगति, कार्य के विवरण, हिताधिकारियों के ब्यौरे, प्राक्कलित लागत, कार्य प्रारंभ करने और पूर्ण होने की संभावित तारीख इत्यादि को वेबसाइट पर उपलब्ध किया जाना चाहिए।

संग्रहित राशि एवं उपयोग:

राजस्थान में डीएमएफटी के अंतर्गत जिलेवार संग्रहित राशि का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।

तालिका – 4: राजस्थान में जिलेवार डीएमएफटी के अंतर्गत संग्रहित राशि (करोड़ रु. में)

जिला	संग्रहित राशि
अजमेर	169.31
अलवर	7.71
बांसवाड़ा	15.45
बारां	0.86
बाड़मेर	उपलब्ध नही
भरतपुर	13.75
भीलवाड़ा	716.12
बीकानेर	15.32
बूंदी	11.64
चितौड़गढ़	उपलब्ध नही
चुरू	2.20
दौसा	1.41
धोलपुर	4.95
डूंगरपूर	3.04
हनुमानगढ़	4.03
जयपुर	47.07
जैसलमेर	22.11
जालौर	3.67
झालावाड़	3.51
झुन्झुनूं	17.44
जोधपुर	14.10
करौली	3.27
कोटा	29.48
नागौर	30.66
पाली	117.21
प्रतापगढ़	1.95
राजसमन्द	497.55
सवाई माधोपुर	2.06
सीकर	6.85
सिरोही	67.75
श्रीगंगानगर	4.03
टोंक	6.12
उदयपुर	172.28
कुल (राज्य)	2248.31

स्रोतः विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध 21 अगस्त, 2019 तक की जानकारी के आधार पर (http://mines.rajasthan.gov.in/DMFT/)

उपरोक्त तालिका में विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध 21 अगस्त, 2019 तक की जानकारी के अनुसार राज्य के सभी जिलों में डीएमएफटी के अंतर्गत कुल मिलाकर करीब 2248.31 करोड़ रू. की योगदान राशि एकत्रित हुई है। कुल करीब 13917 परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं एवं इनकी कुल स्वीकृत राशि करीब 2286.79 रू. है। जिलेवार स्वीकृत परियोजनाओं एवं इनके अंतर्गत स्वीकृत राशि का मई, 2018 तक विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका – 5 :– राजस्थान में जिलेवार डीएमएफटी के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं एवं राशि (मई, 2018 तक)

जिला	पट्टों की संख्या	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)
अजमेर	1080	4	1.18
अलवर	273	72	3.25
बांसवाड़ा	125	142	9.09
बारां	44	2	0.1159
बाड़मेर	457	690	38.54
भरतपुर	665	–	–
भीलवाड़ा	1217	3145	752.70
बीकानेर	253	36	3.41
बूंदी	896	56	5.21
चितौड़गढ़	170	869	102.24
चुरू	217	15	0.7736
दौसा	118	8	0.2463
धोलपुर	194	8	2.11
डूंगरपूर	152	12	0.4829
हनुमानगढ़	–	45	5.25
जयपुर	1260	154	5.68
जैसलमेर	590	–	–
जालौर	602	63	0.506
झालावाड़	125	57	2.55
झुन्झुनूं	478	8	0.51
जोधपुर	538	–	–
करौली	295	20	1.26
कोटा	162	83	13.91
नागौर	1054	–	–
पाली	429	271	76.34
प्रतापगढ़	119	4	0.58
राजसमन्द	2140	1516	320.34
सवाई माधोपुर	137	5	0.52
सीकर	674	87	4.62
सिरोही	329	65	46.09
श्रीगंगानगर	12	56	2.78
टोंक	170	–	–
उदयपुर	765	1090	57.24
कुल (राज्य)	**15740**	**8583**	1457.55

राज्य के सभी जिलों में कुल मिलाकर मई, 2018 तक करीब 8583 परियोजनाएं स्वीकृत की गयी। इनमें से करीब 3905 परियोजनाओं को वित्तीय स्वीकृती जारी करके 1457.55 करोड़ रू. की राशि जारी की गयी थी।

कैम्पा फंड (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority-Fund) :

स्टेट कैम्पा :

राज्य सरकार ने दिनांक 10 जुलाई, 2009 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश द्वारा जारी किए गए निर्देशों के साथ ''राजस्थान राज्य क्षतिपूर्ति वनीकरण निधि प्रबंधन और नियोजन प्राधिकरण'' के रूप में जाना जाने वाला एक प्राधिकरण गठित किया है। इसका उद्देश्य उपयोगकर्ता एजेंसियों से एकत्रित धन (क्षतिपूर्ति वनीकरण, दंड क्षतिपूर्ति वनीकरण, शुद्ध वर्तमान मूल्य, और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत प्राप्त अन्य सभी राशियों) का प्रबंधन करना है।

कैम्पा फंड की अधिसूचना का मुख्य पृष्ठ परिशिष्ट संख्या 6 पर संलग्न है।

एडहॉक (Adhoc) फंड (उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार स्थापित) में जो राशि होती है उसे भी क्षतिपूर्ति वनीकरण फंड (compensatory afforestation fund-CAF) में स्थानांतरित करने का प्रावधान है। इस फण्ड को मुख्य रूप से वन क्षेत्र के नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए वनीकरण, पारिस्थितिकी तंत्र, वन्यजीव संरक्षण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए खर्च किया जाता है। किसी राज्य में वन क्षेत्र के नुकसान की एवज में एकत्रित धन का उपयोग केवल उस राज्य के भीतर ही किया जाएगा। यदि वन भूमि का फैलाव कई राज्यों को प्रभावित करता है, तो एक राज्य के लिए आवंटित धन का उपयोग आसपास के राज्यों में किया जा सकता है।

फण्ड का निर्माण :

विभिन्न विकास और औद्योगिक परियोजनाएं जैसे कि बांध, खनन और उद्योगों या सड़कों के निर्माण के लिए वन भूमि के उपयोग की आवश्यकता होती है। किसी भी परियोजना के समर्थक, सरकार या निजी व्यक्तियों को भूमि अधिग्रहण से पहले पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) से अनापत्ति प्रमाणपत्र (Clearance certificate) के लिए आवेदन करना होता है। यह प्रस्ताव राज्य सरकार के वन विभाग के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। अगर मंजूरी मिल जाती है तो परिवर्तित वन भूमि के लिए क्षतिपूर्ति भी मंत्रालय और नियामकों द्वारा तय की जाती है।

वर्तमान में राज्य कैम्पा फंड में उपयोगकर्ता एजेंसियों से क्षतिपूर्ति वनीकरण, अतिरिक्त क्षतिपूर्ति वनीकरण, दंड क्षतिपूर्ति वनीकरण, शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) से एकत्रित धन जमा होता है एवं वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत ऐसी एजेंसियों से प्राप्त अन्य सभी प्रकार की राशि भी राज्य कैम्पा फंड में शामिल होती है। इसके अलावा वर्तमान में जो राशि एडहॉक (Adhoc) कैम्पा के अंतर्गत है वह भी राज्य कैम्पा में शामिल की गयी है।

राष्ट्रीय निधि : CAF फंड का 10 प्रतिशत राष्ट्रीय स्तर पर रहेगा और इस फण्ड का उपयोग राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों एवं गतिविधियों की निगरानी और मूल्यांकन करने और उन्हें अनुसंधान, तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

राज्य निधि : यह विधेयक देश के वन और वन्यजीव संसाधनों के संरक्षण, सुधार और विस्तार के लिए क्षतिपूर्ति वनीकरण और अन्य गतिविधियों के निष्पादन के लिए राज्यों को संचित राशि का 90 प्रतिशत हिस्सा प्रदान करता है।

कैम्पा फण्ड का उपयोग :

राज्य कैम्पा के पास उपलब्ध धन का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जा सकता है :–

- अनुमोदित एपीओ (Annual plan of operation) के अनुसार वनों और वन्यजीव प्रबंधन के विकास, रख–रखाव और संरक्षण के लिए।

- राज्य कैम्पा के प्रबंधन के लिए नियमित व्यय के साथ–साथ अनियमित व्यय, जिसमें राज्य कैम्पा द्वारा निवेश की गयी आय के ब्याज से प्राप्त आय के एक हिस्से का उपयोग करके अपने अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को वेतन और भत्ते देना शामिल है।
- निगरानी और मूल्यांकन पर किया गया व्यय हर साल खर्च होने वाली राशि का 2 प्रतिशत होना चाहिए।
- वन संरक्षण से संबंधित अन्य परियोजनाओं पर वितरण।

फण्ड किसे मिलता है :–

- राज्य कैम्पा एपीओ (Annual plan of operation) के अनुसार पूर्व निर्धारित किश्तों में क्षेत्रीय अधिकारियों को राशि हस्तांतरित करती है।
- कार्यो के क्रियान्वयन हेतु कैम्पा के अंतर्गत गवर्निंग बॉडी, स्टीयरिंग कमेटी व एग्जीक्यूटिव कमेटी का गठन किया गया है।

कैम्पा फण्ड के अंतर्गत विभिन्न कमेटियां एवं उनके कार्य : कैम्पा (CAMPA) के अंतर्गत कार्यों के क्रियान्वयन हेतु एक गवर्निंग बॉडी, एक स्टीयरिंग कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी और एक निगरानी समूह का प्रावधान है।

गवर्निंग कमेटी : गवर्निंग बॉडी में अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं एवं सदस्यों में वन मंत्री, वित्त एवं योजना मंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव (वित्त), प्रमुख शासन सचिव (योजना), प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन जीव प्रतिपालक, सदस्य सचिव–प्रमुख शासन सचिव (वन) होते हैं।

गवर्निंग कमेटी के कार्य : राज्य कैम्पा के नीतिगत ढांचे (Policy Framework) व कार्यों का निर्धारण तथा समय–समय पर किये गए कार्यों की समीक्षा करना।

स्टीयरिंग कमेटी : स्टीयरिंग कमेटी में अध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव होते हैं जबकि सदस्यों में प्रमुख शासन सचिव (वन), प्रमुख शासन सचिव (वित्त), प्रमुख शासन सचिव (योजना), प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के प्रतिनिधि, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत दो प्रमुख गैर सरकारी संगठन (NGO) तथा सदस्य सचिव–अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) होते हैं।

स्टीयरिंग कमेटी के कार्य : एग्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा प्रस्तावित वार्षिक योजना का अनुमोदन करना व राज्य कैम्पा द्वारा दिए गए बजट के उपयोग की निगरानी करना। एग्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा बनाई गयी वार्षिक कार्य योजना को स्वीकृति देना एवं 6 माह में एक बार मीटिंग करवाना।

एग्जीक्यूटिव कमेटी : एग्जीक्यूटिव कमेटी में अध्यक्ष प्रधान मुख्य वन संरक्षक होता है एवं सदस्यों में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), वित्तीय सलाहकार, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत दो गैर सरकारी संगठन (NGOs) तथा सदस्य सचिव – अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी) आदि होते हैं।

एग्जीक्यूटिव कमेटी के कार्य : स्टीयरिंग कमेटी द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु उद्देश्य एवं नियमों का गठन करना। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दिसम्बर माह से पूर्व वार्षिक कार्य योजना विभिन्न कार्यकलापों के अनुसार तैयार कर स्टीयरिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत कर उनकी सहमति प्राप्त कर राशि जारी करवाना।

कैम्पा फण्ड से कराये गए कार्यो का निरीक्षण करना एवं स्टीयरिंग कमेटी के समक्ष रिव्यू हेतु प्रतिवेदन (Reports) प्रस्तुत करना।

कार्यों की निगरानी और मूल्यांकन :

- उपलब्ध धनराशि का उपयोग करने वाले राज्यों में लागू कार्यों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए और धन का प्रभावी और उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र प्रणाली बनाये जाने का प्रावधान है।

- कैम्पा के धन का उपयोग करके राज्य कैंपा द्वारा निष्पादित कार्यों के विशेष निरीक्षण और वित्तीय अंकेक्षण का आदेश देने का अधिकार राष्ट्रीय सीएएमपीए सलाहकार परिषद (National CAMPA advisory council) के पास होगा।
- यदि जारी किए गए धन का उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है तो राष्ट्रीय कैम्पा सलाहकार परिषद के साथ–साथ राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी के पास शेष धन या उसके हिस्से को ना देने या निलंबित करने का अधिकार होगा।

राष्ट्रीय CAMPA सलाहकार परिषद (National CAMPA Advisory Council):

राष्ट्रीय कैम्पा सलाहकार परिषद के कार्य :

- राज्य कैम्पा के लिए व्यापक दिशानिर्देश निर्धारित करना।
- नियमित रूप से राज्यों के परामर्श से राज्य कैम्पा द्वारा संचालित की जा रही परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन करना।
- राज्य कैम्पा को आवश्यक वैज्ञानिक, तकनीकी और अन्य सहायता की सुविधा प्रदान करना।
- योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा के आधार पर राज्य कैम्पा को सुझाव देना।
- अंतर्राज्यीय या केंद्र–राज्य के मुद्दों को हल करने के लिए राज्य कैम्पा को एक क्रिया–विधि प्रदान करना।

परिषद की संरचना :

- परिषद का अध्यक्ष पर्यावरण और वन मंत्री होता है।
- देश के सभी राज्यों में से किन्ही तीन राज्यों के प्रधान मुख्य वन संरक्षक को रोटेशन के आधार पर एक वर्ष हेतु सदस्य बनाया जाता है।
- दो पर्यावरणविद / संरक्षणवादी / वैज्ञानिक / अर्थशास्त्री / सामाजिक वैज्ञानिक का दो साल की गैर–नवीकरणीय अवधि के साथ सदस्य के तौर पर मनोनयन।
- भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के महानिदेशक–वन और विशेष सचिव भी सदस्य होते हैं।
- सदस्य सचिव के तौर पर भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के महानिरीक्षक (वन संरक्षण) होते हैं।

वार्षिक कार्य योजना (Annual Plan of Operation) :

वार्षिक कार्य योजना (Annual Plan of Operation) संभागीय स्तर से प्राप्त मांगो के अनुसार बनाई जाती है। सभी विकास खंडों (Blocks) के विभागीय अधिकारी जो कि उप–वन संरक्षक होते हैं, वो अपनी मांगो की सूची अपने संभाग(Zone) को भेजते हैं। मुख्य वन संरक्षक जो संभागीय अधिकारी भी होता है, वह इन मांगो की पुष्टि करता है एवं इसे राज्य स्तर पर भेजा जाता है। इसके अलावा ब्लॉक स्तरीय विभागीय अधिकारी सीधे राज्य से भी मांग कर सकते हैं।

क्षतिपूर्ति वनीकरण, अतिरिक्त क्षतिपूर्ति वनीकरण इत्यादि के अंतर्गत सारी राशि का भुगतान खंड स्तरीय कार्यालयों को ऑनलाइन किया जाता है।

भवन एवं निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड :

भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्त) अधिनिमय, 1996 के अंतर्गत निर्माण मजदूर को हफ्ते में एक दिन वेतन सहित छुट्टी और ओवरटाइम के लिए अलग से मजदूरी देने का प्रावधान रखा गया है। निर्माण स्थल पर शिशुगृह, प्राथमिक उपचार, कैंटीन आदि सुविधाओं का प्रावधान भी इस अधिनियम में रखा गया है।

राजस्थान में निर्माण मजदूर कानून को लागू करने के लिये सरकार ने वर्ष 2009 में राजस्थान निर्माण मजदूर बोर्ड बनाया। इसके तहत निर्माण कार्यों में कार्यरत ऐसे मजदूर जिनकी आयु 18–60 वर्ष के बीच हो और पिछले 1 वर्ष में कम से कम 90 दिन निर्माण मजदूर के रूप में काम किया हो, अपना पंजीकरण करा सकते है।

बोर्ड द्वारा निम्न योजनाएं चलाई जा रही हैं :

- निर्माण श्रमिक स्वास्थ्य बीमा योजना
- निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना
- निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना
- निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना
- शुभशक्ति योजना
- सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने पर सहायता योजना
- सिलिकोसिस पीड़ित मजदूरों के लिये सहायता योजना
- निर्माण श्रमिक औजार टूलकिट सहायता योजना

राजस्थान निर्माण मजदूर बोर्ड में पंजीयन की प्रक्रिया :

निर्माण श्रमिक निम्नलिखित दस्तावेजों तथा पंजीयन शुल्क राशि 25 रूपये तथा अंशदान राशि (5 वर्षों के लिए 60 रू.) के साथ पंजीयन अधिकारी को आवेदन कर सकते हैं:

- आयु का प्रमाण पत्र
- निर्माण श्रमिक होने का प्रमाणपत्र: नियेाजक या ठेकेदार, पंजीकृत निर्माण श्रमिक संघ या संबंधित क्षेत्र के श्रम निरीक्षक, ग्राम पंचायत सचिव जारी किया गया है।
- निर्धारित प्रारूप में नामांकन

पंजीयन आवेदन प्रपत्र श्रम विभाग तथा अन्य पंजीयन अधिकारियों के कार्यालयों में निःशुल्क उपलब्ध है।

बोर्ड द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का लाभ पाने के लिये लेबर लाइन (18001800999) पर फोन भी कर सकते हैं।

बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के अनुसार :

- वर्ष 2016–17 तक बोर्ड में कुल 13 लाख 17 हजार 439 मजदूरों का पंजीयन हो चुका है जिसमें से आधा पंजीयन पिछले 2 वर्षों में हुआ है।
- इनमें से अब तक कुल 1 लाख 52 हजार 885 मजदूरों को ही कोई लाभ मिल सका है।
- अब तक बोर्ड के पास कुल 1468 करोड़ रूपये सेस (उपकर) द्वारा जमा हो चुके हैं जिनमें से बोर्ड ने 379 करोड़ रूपये ही खर्च किये है।

सन्दर्भ सूची :

- पंचायत बजट मैन्युअल – बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र, जयपुर
- राजस्थान में पंचायतों की आय के मुख्य स्रोत एवं इनसे करवाये जा सकने वाले कार्य, बजट एनालिसिस एण्ड रिर्सच सेन्टर, जयपुर
- पंचायत बजट तथा पंचायतों की आय के स्रोत– बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र, जयपुर
- वी.एच.एन.एस.सी के संबंध में आदेश, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान स्वास्थ्य समिति, राजस्थान सरकार, जून 3, 2016
- नियमावली, राजस्थान मेडिकेयर रिलिफ सोसायटी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, राजस्थान, 2018
- दिशा–निर्देश 2018–19, कम्पोजिट स्कूल ग्रांट, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, राजस्थान सरकार, सितंबर, 2018
- विद्यालयों में विद्यालय विकास एव प्रबंधन समिति (SDMC) के गठन के संबंध में आदेश, शिक्षा विभाग, राजस्थान, 2015
- खान एवं खनिज (विकास एवं व्यवस्थापन), अधिनियम, 1957
- खान एवं खनिज (विकास एवं व्यवस्थापन) संशोधन अधिनियम, 2015
- केम्पा कानून (The Compensatory Afforestation Fund Act), 2016
- असंगठित तथा अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूरों के लिये सामाजिक सुरक्षा, अंताक्षरी फाउंडेशन, जयपुर

परिशिष्ट:

इस पुस्तिका में दिये गयी जानकारियों से संबंधित सरकारी आदेशों एवं परिपत्रों के प्रथम पेज की प्रति यहां दी जा रही है।

परिशिष्ट–1

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय व तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ.एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

फोन नं: 0141–2712376 Email ID - rajssa_pfci@yahoo.co.in फैक्स नं: 0141–2701822

क्रमांक– राप्रकूशिप/जय/औ.शि./दिशा–निर्देश/CSG/2018–19/(27) दिनांक– 11/05/2018

दिशा–निर्देश सत्र 2018–19

कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट (COMPOSITE SCHOOL GRANT)

समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सामान्य शैक्षिक, सह–शैक्षिक, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं पुराने उपस्करों के प्रतिस्थापन तथा विद्यालय स्वच्छता एक्शन प्लान हेतु कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट दिये जाने का प्रावधान है। छात्र हित में विद्यालय की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस राशि का उपयोग किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य को बढ़ावा देने के लिये पाठ्य– सहगामी क्रियाओं का विकास करना एवं विद्यालयों की दैनिक/भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।

यह अनुदान डाइस डाटा 2017–18 के अनुसार राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को देय है, जो कि शिक्षा विभाग/पंचायती राज विभाग/केंजीबीवी/संस्कृत शिक्षा के विद्यालयों/शिक्षाकर्मी बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालयों/समाज कल्याण विभाग के अधीन आते है। जिला परियोजना कार्यालय द्वारा राशि का हस्तान्तरण ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों हेतु पीईईओ विद्यालय की प्रबंधन समिति के बैंक खाते में तथा शहरी क्षेत्र के विद्यालयों हेतु सीधे ही विद्यालय की विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के बैंक खाते में हस्तान्तरित की जायेगी साथ ही कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट मद में विद्यालयवार राशि की सूची प्रेषित की जायेगी। जिला कार्यालय द्वारा जारी की गई भुगतान स्वीकृति को शाला दर्शन व शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करावें। अतः निम्नानुसार वितरित किया जा कर शत–प्रतिशत लक्ष्य अर्जित करें।

वित्तीय प्रावधान :

S.No.	Number of students in School	School Grant
1	1-15	Rs. 12500 (Including atleast Rs. 1250 for Swachhta Action Plan)
2	16-100	Rs. 25000 (Including atleast Rs. 2500 for Swachhta Action Plan)
3	101-250	Rs. 50000 (Including atleast Rs. 5000 for Swachhta Action Plan)
4	251-1000	Rs. 75000 (Including atleast Rs. 7500 for Swachhta Action Plan)
5	Above 1000	Rs. 100000 (Including atleast Rs. 10000 for Swachhta Action Plan)

नोट :– उपरोक्त तालिका के क्र.सं. 1 से 5 तक की विस्तृत सूची पृथक से संलग्न है।

नोट :– मर्ज हुए विद्यालय एवं शून्य नामांकन वाले विद्यालयों को यह अनुदान देय नहीं होगा। जिसका ध्यान डीपीसी द्वारा रखा जायेगा।

परिशिष्ट – 2
विद्यालय प्रबंधन समिति

कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: आदेश ::

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांकः 21.01.15 के द्वारा समस्त राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के लिए विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) तथा कक्षा 1–8 तक के लिये विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) के गठन के आदेश जारी किये गये हैं। इन आदेशों के अनुसार विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा कक्षा 1–8 तक की कक्षाओं में शिक्षा की गुणवत्ता के साथ–साथ सर्व शिक्षा अभियान तथा मिड–डे–मील की राशि की प्राप्ति व व्यय का लेखा जोखा पृथक से संधारित किया जायेगा। विद्यालय प्रबन्धन समिति का गठन पूर्व प्रदत्त आदेशों के अनुसार ही होगा।

माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9–12 के विद्यार्थियों की शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार एवं विद्यालय भवन के विकास सम्बन्धी कार्य विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) द्वारा किये जायेंगे। इसके साथ ही RMSA से प्राप्त अनुदान, विकास शुल्क एवं अन्य प्राप्त होने वाली राशियों का लेनदेन/ लेखा–जोखा इस समिति द्वारा संधारित किया जायेगा। विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) तथा अन्य उप–समितियों के गठन हेतु संरचना एवं इनके दायित्व शासन की स्वीकृति क्रमांक : प.17(22)शिक्षा–1/2016, जयपुर दिनांक 01.07.2016 के क्रम में आंशिक संशोधनोपरान्त एतद् द्वारा निर्धारित किए जाते हैं :–

1. School Development and Management Committee (SDMC) की कार्यकारिणी समिति की संरचना (RMSA गाइडलाईन के अनुसार) :–

1.	प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक	अध्यक्ष
2.	अभिभावकों में से एससी/एसटी समुदाय के प्रतिनिधि	2 सदस्य
3.	अभिभावकों में से महिला प्रतिनिधि	2 सदस्य
4.	अभिभावकों में से अन्य प्रतिनिधि	2 सदस्य
5.	सामाजिक विज्ञान का अध्यापक प्रतिनिधि	1 सदस्य
6.	विज्ञान का अध्यापक प्रतिनिधि	1 सदस्य
7.	गणित का अध्यापक प्रतिनिधि	1 सदस्य
8.	पंचायत/शहरी स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि सदस्य	2 सदस्य
9.	ऑडिट व वित्त विभाग का एक व्यक्ति (संस्था का लेखा कार्मिक) प्रतिनिधि	1 सदस्य
10.	शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधि	1 सदस्य
11.	महिला समूहों में से प्रतिनिधि सदस्य	1 सदस्य
12.	ग्राम शिक्षा विकास समिति का सदस्य/शिक्षा विद्	1 सदस्य
13.	विज्ञान, मानविकी एवं कला/संस्कृति/क्राफ्ट की पृष्ठभूमि वाले (जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मनोनीत) प्रतिनिधि	1 सदस्य
14.	जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मनोनीत अधिकारी	1 सदस्य
15.	विद्यार्थी प्रतिनिधि	2 सदस्य
16.	विधायक प्रतिनिधि	2 सदस्य
17.	प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा नामित मुख्य शिक्षक(हेड टीचर)(वरिष्ठतम व्याख्याता–उमावि में/वरिष्ठतम वरिष्ठ अध्यापक–मावि में)	सदस्य सचिव
	कुल सदस्य	23 सदस्य

परिशिष्ट – 3
राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर

क्रमांक : HA/RMRS/2018/56 दिनांक 5.2.18

समस्त संयुक्त निदेशक (जोन)
समस्त मु.चि.एवं. स्वा. अधिकारी
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
समस्त चि.अधि.प्रभारी, सामु.स्वा.केन्द्र/प्रा.स्वा.केन्द्र

विषयः राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, नियमावली–2018

उपरोक्त विषय मे लेख है कि प्रदेश के नागरिको को आधुनिक स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार सुविधा बिना किसी व्यवधान के उपलब्ध कराने हेतु राज्य जन सहभागिता योजना के अन्तर्गत वर्ष 1997 से राज्य मे मेडिकेयर रिलीफ सोसायटियों का गठन किया गया था। ऐसा करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य था, जहां पर यह अनूठी योजना सर्वप्रथम शुरू की गई उक्त सोसायटी का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनाथ, लावारिश, विधवा, मेहरानगढ दुखन्तिका पीडित व्यक्तियों, एचआईवी पोजिटिव केसेज, आस्था कार्डधारी, सहरिया जाति, कैदी, दुर्घटनाग्रस्त, हिमोफिलिया, थैलीसीमिया, पेंशनर्स व 60 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को ये सभी सुविधायें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। समय–समय पर तथा सरकार द्वारा घोषित निःशुल्क श्रेणी स्वतः ही इस नियमावली मे मानी जायेगी।

इस योजना की सफलता एवं उपयोगिता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द स्तर तक मेडिकेयर रिलीफ सोसायटियों का गठन किया गया है।

समय–समय पर समीक्षात्मक बैठको में अधिकारियों द्वारा मेडिकेयर रिलीफ सोसायटियों के संचालन में कई प्रकार की कठिनाईयों की चर्चा की जाती रही है। उन सभी कठिनाईयों का समाधान कर राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी हेतु नई नियमावली–2018 का प्रकाशन करवा कर आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जा रही है। ताकि राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी का कार्य सुचारू रूप से सम्पादित किया जा सके।

दिनांक :– 5.2.18

05.2.18

(डॉ. वी.के. माथुर)
निदेशक (जन स्वा.)
चि. एवं. स्वा.सेवायें राज. जयपुर

परिशिष्ट – 4
ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल एवं पोषण समिति

राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति
स्वास्थ्य भवन, जयपुर

F21(15)NHM/VHSC/Part-1/16/1605 Date : 3/6/16

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
अधिकारी

विषय– ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता, पेयजल एवं पोषण समिति के पुनर्गठन के सम्बन्ध में।
संदर्भ– भारत सरकार से प्राप्त संशोधित/नवीन दिशा निर्देश के क्रम में।

जैसा कि आपको विदित है कि राज्य में 7 (सात) सदस्यीय ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता, पेयजल एवं पोषण समिति का गठन पूर्व में प्रत्येक राजस्व ग्राम स्तर पर किया जा चुका है। हाल ही में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता, पेयजल एवं पोषण समिति के संदर्भ में संशोधित/नवीन दिशा निर्देश प्राप्त हुये है जिसके अनुसार उक्त समिति में न्यूनतम 15 सदस्य होने चाहिए।

संशोधित/नवीन दिशा निर्देशों की प्रति संलग्न कर आपको निर्देशित किया जाता है कि संशोधित/नवीन दिशा निर्देशानुसार ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता, पेयजल एवं पोषण समिति का पुनर्गठन कर अधोहस्ताक्षरकर्ता पालना रिपोर्ट से अवगत करावे, ताकि उक्त सूचना भारत सरकार को प्रेषित की जा सके।

संलग्न उपरोक्तानुसार

विशिष्ट शासन सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0 क0
एवं मिशन निदेशक एनएचएम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव– प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. निजी सचिव– प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. निजी सचिव– प्रमुख सचिव, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग।
4. निजी सचिव–शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
5. निजी सचिव–शासन सचिव, परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।
6. निजी सचिव–शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
7. निजी सहायक, विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एनएचएम।
8. निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम।
9. जिला कलेक्टर समस्त जिले।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त जिले।
11. परियोजना निदेशक/उप शासन सचिव/निदेशक जनस्वास्थ्य/आरसीएच/जिला एनएचएम जयपुर।
12. निदेशक–राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर।
13. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, जयपुर जोधपुर, उदयपुर, कोटा।
14. मुख्य अभियन्ता–जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जयपुर, जोधपुर।
15. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा।
16. परियोजना निदेशक शिशु स्वास्थ्य/मातृ स्वास्थ्य /टीकाकरण/परिवार कल्याण।
17. अधिशाषी अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत——।
18. प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी समस्त जिले।
19. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक एनएचएम/सलाहकार वीएचएससी/आशा/आईईसी एनएचएम।
20. जिला कार्यक्रम प्रबंधक./ जिला लेखा प्रबंधक. /जिला आशा समन्वयक/जिला आईईसी समन्वयक, समस्त जिले।
21. सर्वर प्रभारी रूम।

2.6.16
निदेशक (आर.सी.एच.)

Mail ID –: notm_nrhm@yahoo.com , co_vhc.nrhm@yahoo.in

परिशिष्ट – 5

जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास कोष

राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
ज्येष्ठ 11, शुक्रवार, शाके 1940–जून 1, 2018 *Jyaistha 11, Friday, Saka 1940–June 1, 2018*	

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (i)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य–प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप–विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

Mines (Gr.II) Department

NOTIFICATION

Jaipur, June 1, 2018

G.S.R.36 .-In exercise of the powers conferred by section 9B, sub-section (4) of section 15 and section 15A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Central Act No. 67 of 1957), the State Government hereby makes the following rules further to amend the District Mineral Foundation Trust Rules, 2016, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan District Mineral Foundation Trust (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 1.- In sub-rule (1) of rule 1 of the District Mineral Foundation Trust Rules, 2016, hereinafter referred to as the said rules, for the existing expression "The District", the expression "the Rajasthan District" shall be substituted.

3. Amendment of rule 5.- In rule 5 of the said rules,-

(i) in table of sub-rule (1), after the existing serial number (ii) and entries thereto and before the existing serial number (iii) and entries thereto, the following new serial (ii-a) and entries thereto shall be inserted, namely:-

'(ii-a) All Members of the Parliament Trustee representing the areas of the District

"

परिशिष्ट – 6

कैम्पा फण्ड

REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—16

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

EXTRAORDINARY

PART II — Section 1

PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 45] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 3, 2016/SHRAVANA 12, 1938 (SAKA)

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 3rd August, 2016/Shravana 12, 1938 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 3rd August, 2016, and is hereby published for general information:—

THE COMPENSATORY AFFORESTATION FUND ACT, 2016

No. 38 of 2016

[3rd August, 2016.]

An Act to provide for the establishment of funds under the public accounts of India and the public accounts of each State and crediting thereto the monies received from the user agencies towards compensatory afforestation, additional compensatory afforestation, penal compensatory afforestation, net present value and all other amounts recovered from such agencies under the Forest (Conservation) Act, 1980; constitution of an authority at national level and at each of the State and Union territory Administration for administration of the funds and to utilise the monies so collected for undertaking artificial regeneration (plantations), assisted natural regeneration, protection of forests, forest related infrastructure development, Green India Programme, wildlife protection and other related activities and for matters connected therewith or incidental thereto.

Whereas the Supreme Court in its order in T.N. Godavarman Thirumulpad vs. Union of India and Others [Writ Petition (Civil) No. 202 of 1995], dated the 30th October, 2002, observed that a Compensatory Afforestation Fund be created in which all the monies received from the user agencies towards compensatory afforestation, additional compensatory afforestation, penal compensatory afforestation, net present value of the diverted forest land or catchment area treatment plan shall be deposited;

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र, जयपुर
(आस्था की इकाई)
Budget Analysis Rajasthan Centre
(A Unit of Astha)
ई–758–59, दूसरी मंजिल, नकुल पथ, लालकोठी स्कीम, जयपुर
ई–मेल : info@barcjaipur.org | वेबसाईट : www.barcjaipur.org